



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार 15 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 24, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आबकारी अनुभाग-2

संख्या 2759/ई-2/तेरह-2020-413-1987

लखनऊ, 15 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

सा०प०नि०-76

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24क तथा 40 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और समस्त पूर्ववर्ती नियमावलियों, अधिसूचना संख्या 9473/तेरह-2-213 दिनांक 25.03.1926, अधिसूचना संख्या 17882/दस-लाइसेंस-9/नयी बीयर-बार-नीति/2002 दिनांक 24.11.2002 के अधीन प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी शराब की थोक तथा फुटकर बिक्री) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2002 और इस निमित्त इस नियमावली से असंगत होने की सीमा तक जारी आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल होटलों, रेस्तराँ, क्लबों, एयरपोर्ट ट्रांजिट लाउंज, विशेष रेलगाड़ियों, क्रूज और माइक्रोवेबीज में उपभोग के लिए विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय हेतु लाइसेंस स्वीकृत किए जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली 2020

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली, संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
2020 कही जाएगी ;

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :- परिभाषाएँ

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;

(ख) "बार" का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन किसी ऐसे अधिष्ठान हेतु स्वीकृत विशेषाधिकार से है जहाँ लाइसेंस प्राप्त परिसर में उपभोग के लिए भारत निर्मित विदेशी मदिरा और विदेशी मदिरा को खुले या सीलबंद बोतलों में विक्रय के साथ भोजन परोसा जाता है;

(ग) "सिविल क्लब" का तात्पर्य सामाजिक तथा मनोरंजन के प्रयोजन के लिए अथवा लाभ प्राप्ति के हेतुक के बिना संयुक्त व्ययों पर किसी सामान्य लक्ष्य के सम्बर्द्धन के लिए ऐसे व्यक्ति-संगम से है जो समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत हो;

(घ) "वाणिज्यिक क्लब" का तात्पर्य लाभ प्राप्त करने के हेतुक से किसी वाणिज्यिक लक्ष्य के संवर्द्धन हेतु सामाजिक तथा मनोरंजन के प्रयोजन से किसी ऐसी कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों के किसी अन्य संगठन या संगम से है जो समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत हो;

(ङ) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से है;

(च) "परिवार" का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र(पुत्रों), अविवाहित पुत्री, (पुत्रियों) और आश्रित माता-पिता से है, और उसमें वे सम्मिलित हैं;

(छ) "विदेशी मदिरा" का तात्पर्य भारत में आयातित बीयर एवं स्ट्रिट, वाइन और मदिरा या भारत निर्मित परिष्कृत या रंजित स्ट्रिट या मदिरा, जो सुगन्ध व रंग में भारत में आयातित मदिरा के सदृश हो, से है, और इसमें माल्ट स्ट्रिट, व्हिस्की, रम, ब्रान्डी, जिन, बोदका व लीकर्स सम्मिलित हैं। इसमें भारत या भारत से बाहर निर्मित बीयर, पैकड ड्राट बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) भी सम्मिलित है;

(ज) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

(झ) "खाद्य पदार्थ" का तात्पर्य किसी प्रसंस्कृत, आंशिक रूप से प्रसंस्कृत, या नैर प्रसंस्कृत पदार्थ से है जो मानव उपभोग के लिये आशयित हो;

(ञ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ट) "राजमार्ग" का तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राज्य राजमार्ग से है;

(ठ) "होटल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित समस्त पर्यटक बंगलों तथा होटलों से है तथा जिसमें समस्त तारांकित होटल या कोई अन्य होटल भी सम्मिलित है;

(ड) "होटल बार लाइसेंस" का तात्पर्य किसी होटल, जिसमें रुकने या ठहरने वाले विदेशी तथा भारतीय पर्यटकों तथा आगन्तुकों को निर्धारित पांच स्थानों पर और अतिरिक्त लाइसेंस फीस, जमा करने पर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाय, अधिक स्थानों पर उपभोग के लिए मदिरा परोसने हेतु विक्रय किया जाता है, को स्वीकृत विदेशी मदिरा के विक्रय हेतु फुटकर लाइसेंस से है;

(ढ) "व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो भारत का नागरिक हो और जो 21 वर्ष की आयु से कम का न हो;

(ण) "लाइसेंस" का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन स्वीकृत लाइसेंस से है;

(त) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, से है जो आबकारी आयुक्त के पूर्व अनमोदन से बार का लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है;

(ध) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य होटलों, रेस्तराओं, क्लबों, एयरपोर्ट ट्राजिट लाउंज, और माइक्रोब्रेवरीज में उपभोग हेतु विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु प्रतिफल स्वरूप नियत वार्षिक धनराशि से है;

(द) "स्वामी" का तात्पर्य किसी रेस्तरां/ होटल के स्वामी से है जिसमें उसका कोई प्रबन्धक या अधिभोगी सम्मिलित है;

(ध) "रेस्तरां" का तात्पर्य ऐसे किसी स्थान या परिसर से है जिसमें जनता को प्रतिफल के बदले में खाद्य या पेय पदार्थ का उपभोग करने की अनुज्ञा हो और जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम और भारतीय पर्यटन एवं विकास निगम द्वारा संचालित कैफे, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और साथ ही साथ ऐसे अन्य स्थान, जहाँ खाद्य पदार्थ विक्रीत और उपभुक्त किये जाते हैं, सम्मिलित हैं;

(न) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के 15 दिन के भीतर जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-संदाय के माध्यम से जमा किये जाने हेतु एक चौथाई लाइसेंस फीस की धनराशि के बराबर की धनराशि से है, जो बार लाइसेंस संचालित किए जाने में लाइसेंसधारी द्वारा कृत किसी व्यतिक्रम की स्थिति में समपहृत किये जाने योग्य है;

(प) "तारांकित होटल" का तात्पर्य ऐसी सभी श्रेणियों के होटलों से है जो भारत सरकार के पर्यटन विभाग के होटल तथा रेस्तरां स्वीकृत और वर्गीकरण समिति अथवा इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा न्यायानिर्णीत और अनुमोदित हों;

(फ) "परिवहन अनुज्ञा पत्र" का तात्पर्य श्लोक लाइसेंस यथा विदेशी मदिरा-2, विदेशी मदिरा-2ख, विदेशी मदिरा-2घ और सीमा शुल्क बन्ध पत्र से भारत निर्मित विदेशी मदिरा और विदेशी मदिरा का परिवहन करने के लिये जारी किसी अनुज्ञा पत्र से है;

(ब) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अप्रिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम से उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

3-(एक) लाइसेंस प्राप्त परिसर में विदेशी मदिरा का उपभोग करने हेतु ग्लासों, पेग्स अथवा सीलबन्द बोतलों में विक्रय करने के लिए न कि उसे लाइसेंस प्राप्त परिसर से बाहर ले जाने के लिए किसी होटल को प्रपत्र वि०म०-6 में लाइसेंस (होटल बार लाइसेंस) स्वीकृत किया जा सकता है; लाइसेंस

(दो) लाइसेंस प्राप्त परिसर में विदेशी मदिरा का उपभोग करने हेतु ग्लासों, पेग्स अथवा सीलबन्द बोतलों में विक्रय करने के लिए न कि उसे लाइसेंस प्राप्त परिसर से बाहर ले जाने के लिए किसी रेस्तरां को प्रपत्र वि०म०-7 में लाइसेंस (रेस्तरां बार लाइसेंस) स्वीकृत किया जा सकता है;

(तीन) किसी सिविल क्लब या किसी वाणिज्यिक क्लब के लिए वि०म०-7क में लाइसेंस (क्लब बार लाइसेंस), उनके सदस्यों तथा उनके नियमित अतिथियों को लाइसेंस प्राप्त परिसर में उपभोग करने के लिए न कि उसे लाइसेंस प्राप्त परिसर से बाहर ले जाने के लिए ग्लासों, पेग्स या सीलबन्द बोतलों में विदेशी मदिरा की आपूर्ति करने/उसका उपभोग करने के प्रयोजनार्थ स्वीकृत किया जा सकता है;

(चार) प्रपत्र वि०म०-11 में लाइसेंस (समारोह बार लाइसेंस), लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर मेलों, त्यौहारों में या विशुद्ध रूप से अस्थायी प्रकृति के अन्य विनिर्दिष्ट अवसरों पर उपभोग हेतु ग्लासों या पेग्स में विदेशी मदिरा का विक्रय करने या उसे परोसने हेतु किसी व्यक्ति या किसी अधिष्ठान को स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु उसे ऐसे स्थानों पर लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर ले जाने के लिए विक्रीत नहीं किया जायेगा;

(पांच) प्रपत्र वि०म०-ए०एल०-१(एयरपोर्ट बार लाइसेंस), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन बनाई गयी बैगेज नियमावली, 1978 के अधीन पात्रता की सीमा तक एयरपोर्ट से गुजरने वाले हवाई यात्रियों के उपभोग हेतु आशयित एयरपोर्ट के भीतर ग्लासों, पेग्स अथवा सीलबंद बोतलों में विदेशी मदिरा का विक्रय करने के लिये स्वीकृत किया जा सकता है;

(छः) प्रपत्र वि०म०-८ में लाइसेंस, लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर विदेशी मदिरा के उपभोग हेतु न कि लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर उसे ले जाने हेतु अपने नियमित अतिथियों को ग्लासों, पेग्स में या सीलबंद बोतलों में विदेशी मदिरा की आपूर्ति करने/उसे परोसने के प्रयोजनार्थ रेलवे प्रशासन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन या उसके द्वारा अनुरक्षित विशेष प्रयोजन की रेलगाड़ियों अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्रूजों के भोजन कक्षों में विदेशी मदिरा विक्रय करने के लिये किया जा सकता है।

ऐसे व्यक्ति, जो लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के लिये पात्र नहीं हैं

4-निम्नलिखित व्यक्ति, लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के लिये पात्र नहीं हैं :-

(क) इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्ति;

(ख) ऐसे व्यक्ति, जो अनुन्मोचित दिवालिया हैं अथवा जो उक्त अधिनियम अथवा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 61 सन् 1985) के उपबंधों के अधीन अपराधों के लिये दोषी ठहराये गये हों, अथवा गैर जमानतीय अपराधों के लिये दोषी ठहराये गये हों अथवा आभ्यासिक अपराधी हों;

(ग) ऐसे व्यक्ति, जिनका कोई लोक या सरकारी बकाया हो;

(घ) कोई मदिरा बोतल भराई धारक या अल्कोहल उत्पादक या विनिर्माणकर्ता हो;

(ङ) बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत कोई अधिवक्ता अथवा कोई चिकित्सक या कोई कम्पनी सचिव या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट;

(च) कोई सरकारी सेवक।

बार लाइसेंस के आवेदक की पात्रता

5-बार लाइसेंस के लिये यह आवश्यक है कि आवेदक:-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी हो; या

(ग) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन स्थापित कोई कम्पनी हो; या

(घ) भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भागीदारी फर्म हो, जिसके भागीदार भरत के निवासी हों; या

(ङ) कोई रजिस्ट्रीकृत एकल स्वामित्व वाली फर्म हो; या

(च) कोई लिमिटेड देयतावाली भागीदारी फर्म हो; या

(छ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी हो; या

(ज) किसी होटल/रेस्तरां का स्वामी/स्वत्वधारी/प्रबन्धक/अधिभोगी/पट्टेदार हो; या

(झ) यदि कोई व्यक्ति हो तो 21 वर्ष से अधिक आयु का हो; या

(ञ) कोई रजिस्ट्रीकृत क्लब हो।

लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के लिये निर्बन्धन

6-(1) कोई बार लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जायेगा:-

(एक) यदि आवेदन पत्र पर सक्षम व्यक्ति का हस्ताक्षर न हो या वह अपूर्ण हो;

(दो) जब तक परिसर में:-

(क) कम से कम 40 व्यक्तियों के बैठने की न्यूनतम क्षमता न हो;

(ख) न्यूनतम 200 वर्ग मीटर का कुर्सी क्षेत्रफल न हो;

(ग) महिलाओं और पुरुषों के लिये पृथक-पृथक वाशबेसिन और वाशरूम जैसे स्वच्छताकारी उपस्कर न हो;

(घ) न्यूनतम 15 वर्गमीटर के कुर्सी क्षेत्रफल के भोजन कक्ष की व्यवस्था द्वारा स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त उपभोक्ताओं को अच्छे गुणवत्ता का पूर्ण भोजन पकाने और परोसने की सुविधा न हो;

(ङ) लाइसेंस प्राप्त परिसर के उपभोग कक्षों और हालों में वातानुकूलन या वातप्रशीतन की सुविधा न हो;

(च) परिसर के 500 मीटर के अन्तर्गत पर्याप्त यान पार्किंग की व्यवस्था (निजी/वैलेट पार्किंग/सार्वजनिक या निजी पार्किंग) न हो;

(छ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्निशमन सुरक्षा का विधिमान्य प्रमाणपत्र न हो;

(ज) मदिरा का अलग और पृथककृत बार काउंटर और भंडारण कक्ष न हो;

(झ) विभिन्न प्रकार और ब्राण्डों की मदिरा के प्रदर्शन के लिये समुचित प्रदर्शन स्थल न हो;

(ञ) जब तक उक्त परिसर राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग अथवा राजमार्ग के सर्विस लेन के बाह्य छोर से 500 मीटर की दूरी के अन्तर्गत न हो और उक्त परिसर राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से सीधे दृश्य न हो या उसके पहुँच में न हो:

परन्तु यह कि यदि उक्त क्षेत्र 20,000 या उससे कम जनसंख्या वाले नगर निकायों में समाविष्ट हो तो दूरी 220 मीटर होगी।

परन्तु यह और कि नगरपालिका क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले लाइसेंस प्राप्त अधिष्ठानों के लिये उक्त निर्वहन लागू नहीं होंगे;

(ट) जब तक उक्त परिसर, उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या तथा अवस्थिति नियमावली, 1968 (यथासंशोधित) के नियम 5 (4) के उपबंधों के प्रतिकूल प्रतिषिद्ध दूरी के अन्तर्गत हो;

(तीन) जब तक आवेदक के पास:-

(क) सम्बन्धित स्थानीय निकाय का व्यापारिक लाइसेंस और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन सुसंगत लाइसेंस न हो;

(ख) परिसर, यदि पट्टे पर हो, के स्वामी से प्रस्तावित लाइसेंस प्राप्त परिसर के लिये कोई रजिस्ट्रीकृत पट्टाविलेख न हो।

टिप्पणी-

(1) किसी मॉल या किसी वाणिज्यिक काम्प्लेक्स जिसमें बार स्थित हो, की सामान्य पार्किंग सुविधायें और वाशरूम, ऐसे बार की सुविधाओं के रूप में माने जायेंगे;

(2) लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नियम-11 के अधीन बार लाइसेंस जारी किये जाने के पूर्व रेस्तरां चालू स्थिति में होना चाहिये।

7. (एक) आवेदन पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा:-

(क) व्यक्ति, यदि वह व्यक्तिगत हैसियत से किया जाय;

(ख) प्रत्येक भागीदार, यदि आवेदक भागीदार फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार का नाम, माता-पिता का नाम और समुचित पता आवेदन में उल्लिखित किया जायेगा;

(ग) प्रबंध निदेशक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्राधिकृत प्रबंधक, यदि आवेदक कोई कम्पनी हो तो कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत नाम और पता और साथ ही साथ निदेशकों प्रबन्धकों तथा प्रबन्ध अभिकर्ताओं का नाम आवेदन में स्पष्ट रूप में उल्लिखित होना चाहिए;

लाइसेंस स्वीकृत
किये जाने के लिए
आवेदन

(घ) सम्यक रूप से निर्वाचित अध्यक्ष या सचिव, यदि आवेदन किसी क्लब के लिए या उसकी ओर से किया जाय। उक्त आवेदन में क्लब की रजिस्ट्रीकरण संख्या तथा पता और उसके अध्यक्ष तथा सचिव का नाम तथा पता सम्मिलित होगा।

(दो) होटल/रेस्तरां/क्लब बार/एयरपोर्ट बार लाइसेंस:-

लाइसेंस हेतु आवेदन, प्रपत्र 'क' में ऑनलाइन किया जायेगा और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे:-

(क) अप्रतिसंदेय आवेदन फीस;

(ख) दो नवीनतम पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ;

(ग) पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ;

(घ) पार्किंग स्थान का सबूत;

(ङ) प्रस्तावित परिसर की अनुमोदित अभिन्यास योजना की प्रति;

(च) यदि प्रस्तावित परिसर का उपयोग सम्पत्ति और भू-स्वामी से भिन्न व्यक्ति/संस्था द्वारा पट्टा और करार के आधार पर किया जा रहा हो तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत करार विलेख/पट्टा/संविदा की प्रतिलिपि;

(छ) सक्षम/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भोजन परोसने हेतु स्वीकृत होटल/रेस्तरां आदि का विवरण सहित व्यापारिक लाइसेंस की प्रतिलिपि;

(ज) रेस्तरां/होटल परिसर में अग्नि सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र;

(झ) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण की प्रतिलिपि;

(ञ) सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र;

(ट) किसी होटल परिसर के भीतर मदिशा परोसने के लिए निर्धारित अतिरिक्त फीस के संदाय पर पौंच स्थानों और अतिरिक्त स्थानों की सूची;

(ठ) आवेदक के क्लब बार लाइसेंसधारक होने की स्थिति में आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे:-

(एक) क्लब सदस्यता नियमावली की प्रतिलिपि।

(दो) अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों की सूची।

(तीन) संगम-ज्ञापन।

(चार) संगम अनुच्छेद।

(पाँच) उस स्थान, जहाँ पर क्लब स्थित हो, के जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र;

(ड) आवेदक के भागीदारी फर्म/कम्पनी या एल०एल०पी० फर्म होने की स्थिति में आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे:-

(एक) संगम-ज्ञापन।

(दो) संगम अनुच्छेद।

(तीन) फर्म का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र।

(चार) निदेशकों/भागीदारों की सूची।

(पाँच) भागीदारी विलेख।

(छ) पैन कार्ड।

(सात) टैन संख्या।

(आठ) भागीदारों/निदेशकों के आधार कार्ड।

(नौ) आवेदन करने हेतु प्राधिकार-पत्र।

(ढ) भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र अथवा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15-क (2) के उपबंधों के समर्थन में दस्तावेजों सहित शपथ-पत्र।

(तीन) समारोह हेतु बार लाइसेंस

प्रपत्र 'ख' में आनलाइन आवेदन किया जायेगा, जिसके साथ अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी।

(चार) आवेदक को पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा-

(क) कि वह होटल/रेस्तरां/क्लब का स्वामी या पट्टेदार है अथवा उसके पास समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और अवस्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार परिसर स्वामी का पट्टा विलेख या सहमति पत्र हो;

(ख) कि उसका और उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और वे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध अथवा किसी अन्य संज्ञेय और अजमानतीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराये गये हैं;

(ग) कि उसे जिस जिले का वह निवासी हो, उस जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र यह दर्शाते हुये प्रस्तुत करना होगा कि उसका और उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या अपराधिक अभिलेख नहीं है, आवेदक के भागीदारी फर्म/कम्पनी होने की स्थिति में, फर्म के प्रत्येक भागीदार/कम्पनी के निदेशक या प्रबन्धक या प्रबन्ध अभिकर्ता या प्रबन्ध निदेशक के पास जिस जिले का वह निवासी हो, उस जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र यह दर्शाते हुए हो कि उसका और उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या अपराधिक अभिलेख नहीं है;

(घ) कि वह ऐसे विक्रेता या प्रतिनिधि को नियोजित नहीं करेगा जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संक्रामक रोग से ग्रसित हो अथवा जो 21 वर्ष की आयु से कम हो अथवा कोई महिला हो;

(ङ) कि उसके पास कोई लोक या सरकारी बकाया न हो;

(च) कि वह ऋणशोधक हो और उसके पास आवश्यक निधियाँ हों अथवा वह कारबार संचालित करने के लिए आवश्यक निधियों की व्यवस्था किया हो, जिसका विवरण लाइसेंस प्राधिकारी को अपेक्षित होने पर उपलब्ध कराया जायेगा;

(छ) कि वह न तो कोई मदिरा बोटल भराई लाइसेंसधारक हो और न ही अल्कोहल उत्पादनकर्ता/विनिर्माणकर्ता हो;

(ज) कि वह बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत कोई अधिवक्ता या कोई चिकित्सक या कम्पनी सचिव या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट न हो। यदि वह लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् उपरोक्त में से किसी भी रूप में पाया जाता है, तो लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा;

(झ) कि वह सरकारी सेवक नहीं है। सरकारी सेवक पाये जाने की स्थिति में उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा;

(ञ) कि उसके अधिष्ठान का परिसर राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के बफर परिक्षेत्र/प्रतिषिद्ध परिक्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के भीतर न आता हो;

(ट) कि उसके पास यान पार्किंग के लिए समुचित और पर्याप्त स्थान हो और यातायात में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा व्यवधान पाये जाने की स्थिति में उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा;

(ठ) कि उसे रेस्तरां/होटल परिसर में अग्निशमन सुरक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा :

परन्तु यह कि समारोह बार लाइसेंस होने की स्थिति में ऊपर उल्लिखित शपथ-पत्र अपेक्षित नहीं होगा।

जिला स्तरीय बार
समिति

8-जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय बार समिति को सन्दर्भित बार लाइसेंसों के लिए आवेदनों का परीक्षण निम्नलिखित रूप में गठित जिला स्तरीय बार समिति करेगी और वह नियम-7 में निर्धारित प्रतिमानों पर विचार करने के पश्चात आबकारी आयुक्त को संस्तुति देगी।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	सम्बन्धित जिला का जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित जिला का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अथवा सम्बन्धित पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट सहायक पुलिस आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी	सदस्य
3	सम्बन्धित मण्डल का उप आबकारी आयुक्त	सदस्य

(क) समिति, जैसा कि वह आवश्यक समझे लाइसेंस स्वीकृत करने की संस्तुति करने के पूर्व परिसर का निरीक्षण कर सकती है;

(ख) समिति को संस्तुति लिखित रूप में अस्वीकृत करने का कारण अभिलिखित करना होगा;

(ग) समिति के विनिश्चय से क्षुब्ध कोई आवेदक मण्डलायुक्त के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है :

परन्तु यह कि विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तुतित बार लाइसेंसों के मामले में जिला स्तरीय बार समिति के सदस्य के रूप में संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

लाइसेंस स्वीकृत
किये जाने की
प्रक्रिया

9-(1) होटल/रेस्ट्रां/क्लब बार/एयरपोर्ट बार लाइसेंस

(क) किसी लाइसेंस के लिए पात्र और बार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को विहित फीस सहित विहित प्रपत्र "क" में जिला आबकारी अधिकारी को आनलाइन आवेदन करना होगा।

(ख) जिला आबकारी अधिकारी ऐसी जाँच, जैसा की वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात आवेदक की वास्तविकता को अभिनिश्चित करेगा और आवेदन में प्रस्तुत विवरणों का सत्यापन करेगा तथा बार स्थापित करने के लिए परिसर की उपयुक्तता की भी परीक्षण करेगा और तत्पश्चात अपनी रिपोर्ट सहित उक्त मामला जिला स्तरीय बार समिति को सन्दर्भित कर देगा।

(ग) जिला स्तरीय बार समिति द्वारा की गई संस्तुति, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदक को लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए आबकारी आयुक्त को अग्रसारित कर दी जायेगी।

(घ) आबकारी आयुक्त, अपेक्षाओं तथा अन्य कारकों, जिन्हें वह उचित समझे, का सम्यक अवलोकन करते हुए और सरकार के निदेशों, जैसा कि इस संबंध में समय-समय पर जारी किये जायें, के अध्यक्षीन बार लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

(2) समारोह बार लाइसेंस

(क) समारोह बार लाइसेंस प्राप्त करने हेतु इच्छुक किसी व्यक्ति या अधिष्ठान को विहित फीस सहित विहित प्रपत्र "ख" में जिला आबकारी अधिकारी को आनलाइन आवेदन करना होगा।

(ख) जिला आबकारी अधिकारी आवेदक की वास्तविकता अभिनिश्चित करने और आवेदन में प्रस्तुत विवरणों का सत्यापन करने तथा परिसर की उपयुक्तता का भी परीक्षण करने के लिये ऐसी जाँच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात उक्त आवेदन अपनी रिपोर्ट के साथ जिला मजिस्ट्रेट को अग्रसारित कर देगा।

(ग) जिला मजिस्ट्रेट अपेक्षाओं और कारकों, जिन्हें वह उचित समझे, का सम्यक अवलोकन करते हुए और आबकारी आयुक्त तथा राज्य सरकार के निदेशों, जैसा कि इस संबंध में समय-समय पर जारी किये जायें, के अध्यक्षीन प्रपत्र एफ0एल0-11 में बार लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है।

(3) एफ0एल0-8 लाइसेंस

(क) किसी लाइसेंस के लिए पात्र और एफ0एल0-8 लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति/फर्म/कंपनी को विहित फीस के साथ आबकारी आयुक्त को आवेदन करना होगा।

(ख) जिला आबकारी अधिकारी आवेदक की वास्तविकता अभिनिश्चित करने और आवेदन में उपलब्ध कराये गये विवरणों को सत्यापित करने तथा परिसर की उपयुक्तता भी का परीक्षण करने के लिए ऐसी जाँच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् उक्त आवेदन अपनी रिपोर्ट के साथ जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आबकारी आयुक्त को अग्रसारित कर देगा।

(ग) आबकारी आयुक्त अपेक्षाओं और अन्य कारकों, जिन्हें वह उचित समझे, का सम्यक अवलोकन करते हुए और सरकार के निदेशों, जैसा कि इस संबंध में समय-समय पर जारी किये जाये, के अध्यक्षीन बार लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

10-लाइसेंस स्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त किये जाने के सात दिन के अन्तर्गत आवेदक को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा। पन्द्रह कार्यदिवस के अन्तर्गत सावधि जमा रसीद या ई-भुगतान के माध्यम से प्रतिभूति धनराशि जमा की जायेगी। तथापि यदि आबकारी वर्ष प्रारंभ होने के पश्चात् कोई लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है तो आबकारी वर्ष के बचे हुए त्रैमास की संख्या के लिए, त्रैमास को सम्मिलित करते हुए जिसमें लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, लाइसेंस फीस प्रभारित किया जायेगा। त्रैमासिक लाइसेंस फीस आबकारी वर्ष के लिए अवधारित वार्षिक लाइसेंस फीस के अनुपात में होगी।

लाइसेंस फीस का भुगतान

11-आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये जाने पर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी स्वयं का समाधान करने के पश्चात् कि लाइसेंस फीस और प्रतिभूति जमा कर दी गई है यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि रेस्त्रां चालू स्थिति में है, अपनी रिपोर्ट क्लेक्टर को प्रस्तुत करेगा जो अपने हस्ताक्षर और कार्यालय मुहर से लाइसेंस जारी करेगा।

बार लाइसेंस जारी किया जाना

12-(1) जहां कोई व्यक्ति, जिसके पक्ष में लाइसेंस स्वीकृत किया गया हो, लाइसेंस प्राप्ति की निर्धारित अवधि के भीतर इस नियमावली के अधीन यथा विहित लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करता है वहाँ लाइसेंस प्राधिकारी की संस्तुति प्राप्त करने पर आबकारी आयुक्त, लाइसेंस स्वीकृति हेतु उसके पक्ष में जारी स्वीकृति को रद्द कर सकता है और उसके द्वारा जमा की गयी आवेदन फीस और प्रसंस्करण फीस समपहृत कर लेगा।

आवेदक के दोष पर स्वीकृत लाइसेंस का रद्द किया जाना

(2) जहां आबकारी आयुक्त के संज्ञान में यह लाया गया हो:-

(क) कि आवेदक नियमावली के अधीन उल्लिखित किसी अनहर्ता से पीड़ित है;

(ख) कि आवेदक द्वारा सारभूत तथ्यों को छिपाकर, लाइसेंस प्रदान किये जाने की स्वीकृति कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त की गई है, आबकारी आयुक्त आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् लाइसेंस प्रदान किये जाने हेतु जारी स्वीकृति को रद्द कर देगा और उसके द्वारा संदत्त फीस और प्रतिभूति धनराशि को समपहृत कर लेगा;

(ग) कि लाइसेंस की शर्तों और आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों का उल्लंघन किया गया है।

13-इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आबकारी आयुक्त, कोई कारण, जो भी हो, समनुदेशित किये बिना कोई आवेदन अस्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा।

आवेदन अस्वीकृत करने की शक्तिया

अपीलें और
पुनरीक्षण

14-(1) जिला स्तरीय बार समिति द्वारा कृत कोई विनिश्चय मण्डलायुक्त को अपील योग्य होगा:

परन्तु यह कि इस नियमावली के अधीन कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी, जब तक कि उक्त अपील ऐसे विनिश्चय को संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर क्षुब्ध आवेदक द्वारा नहीं की जाती है।

(2) नियम 9 (एक) (घ) तथा (तीन) (ग) के अधीन आबकारी आयुक्त द्वारा कृत किसी आदेश द्वारा अथवा नियम 14 (एक) के अधीन मण्डलायुक्त द्वारा कृत आदेश द्वारा क्षुब्ध कोई आवेदक, उक्त आदेश पुनरीक्षित किये जाने के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकता है।

(3) राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या किसी क्षुब्ध आवेदक द्वारा आवेदन किये जाने पर ऐसे किन्हीं आदेशों की शुद्धता, विधिमान्यता या उपयुक्तता के सम्बन्ध में अथवा ऐसी कार्यवाहियों की विनियमितता के सम्बन्ध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजनार्थ इस नियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में पारित किसी आदेश से सम्बन्धित अभिलेखों की माँग कर सकती है तथा उनका परीक्षण कर सकती है और यदि किसी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे आदेश या कार्यवाहियों को पुनर्विचार हेतु उपांतरित, रद्द, पुनरीक्षित या विप्रेषित की जानी चाहिये तो वह तदनुसार आदेश दे सकती है:

परन्तु यह कि किसी पक्षकार को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करने वाला कोई आदेश इस नियम के अधीन तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे प्रत्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाये:

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि यह आबकारी आयुक्त के आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न किया जाये।

लाइसेंस का
नवीकरण

15-(1) विद्यमान नियमावली के अधीन स्वीकृत किया गया कोई लाइसेंस प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के पश्चात समाप्त हो जाएगा।

(2) इस नियमावली के अधीन लाइसेंस धारण करने वाला और उसका नवीकरण कराना चाहने वाला किसी व्यक्ति को विद्यमान नियमावली के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्त होने के दो माह पूर्व आवेदन करना होगा और उक्त आवेदन के साथ समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथानिर्धारित इस नियमावली के अधीन संदेय लाइसेंस फीस संलग्न होगा।

(3) लाइसेंसधारी, अपना लाइसेंस नवीकरण कराने के लिए पात्र होगा, यदि लाइसेंसधारी के विरुद्ध लाइसेंस की शर्तों का अतिक्रमण/उल्लंघन करने हेतु कोई वाद लंबित न हों।

समस्त
लाइसेंसधारियों द्वारा
अनुरक्षित किये जाने
वाले लेखा

16-(1) प्रत्येक लाइसेंसधारी को अपने समस्त दैनिक मदिरा संव्यवहरणों का सही सही लेखा/रजिस्टर प्रपत्र एफ0एल0-25 में अनुरक्षित करना होगा। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित रजिस्टर का उपयोग सुनिश्चित करना होगा। उक्त रजिस्टर निम्नलिखित चार भागों में विभाजित होंगे:-

भाग-एक-अधिकारियों का उनके निरीक्षण परिणामों को अभिलिखित करने हेतु निरीक्षण करने के लिए।

भाग-दो-लाइसेंसधारी द्वारा समस्त स्टॉक प्राप्तियों को अभिलिखित करने के लिए प्रविष्टियाँ बिना परिवर्तन के उस दिनांक को की जानी चाहिए जिस दिनांक को आपूर्तियाँ की गई हों। प्रत्येक परेषण के लिए अलग पंक्ति बनायी जानी चाहिए और यदि परेषण में विभिन्न प्रकार की मदिरा सम्मिलित हो तो प्रत्येक प्रकार की मदिरा की भी पृथक पंक्ति बनाई जानी चाहिए।

भाग-तीन-दिन भर की कुल विक्रय को अभिलिखित करने के लिए प्रत्येक मद के विक्रय को पृथक-पृथक दर्शाया जाना चाहिए।

भाग-चार- दिन भर में प्रत्येक प्रकार की कुल मदिरा की प्राप्ति और कुल विक्रय को अभिलिखित करने के लिए मदिरा प्राप्ति की संख्या भाग-दो से प्राप्त की जायेगी और विक्रय संख्या भाग-तीन में दिन भर की दर्शायी गयी दिन भर की बिक्री की प्रविष्टियों के योग से प्राप्त किया जायेगा।

(2) लेखा रजिस्टर आनलाइन अपलोड किया जायेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, प्रस्तुत किया जायेगा, लाइसेंसधारी को विक्रय-लेखा आदि प्रस्तुत करना होगा और निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर सामग्री दस्तावेज तथा एफ0एल0-36 पास उपलब्ध कराना होगा।

(3) उसे ऐसी अन्य विवरणियाँ भी अनुरक्षित करनी होंगी जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किया जाये।

(4) किसी समारोह बार लाइसेंस धारण करने वाले व्यक्ति को लाइसेंस एफ0एल0- 11 में विहित प्रपत्र में अपने समस्त दैनिक मदिरा संव्यवहरणों की सही-सही लेखा अनुरक्षित करना होगा।

17-यदि कोई बार लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा धारित हो अथवा दो या उससे अधिक भागीदारों द्वारा संयुक्त रूप से धारित हो तो लाइसेंसधारी या किसी एक भागीदार की मृत्यु होने की स्थिति में आबकारी आयुक्त को किये गये आवेदन के आधार पर लाइसेंस का नामांतरण, पात्रता की शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यक्षीन मृतक के विधिक उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) सहित उत्तरजीवी व्यक्तियों के नाम से किया जा सकता है। परन्तु यह कि वे लाइसेंस नामांतरण हेतु किये गये आवेदन पर विचार किये जाने के पश्चात अन्यथा अपात्र न पाये जायें। संयुक्त रूप से और गम्भीर रूप से उत्तरदायी भागीदारों की विधिक देन-दारियों के मध्य कोई विभेद नहीं किया जायेगा।

किसी लाइसेंसधारी (लाइसेंसधारियों) की मृत्यु होने पर

18-यदि होटल तथा रेस्तरां का क्रय-विक्रय करने के सम्बन्ध में अथवा उसके प्रबंधन तथा स्वामित्व में आबकारी आयुक्त को कोई आवेदन किया जाता है तो पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन लाइसेंस नये स्वामी/प्रबंधक के नाम से नामांतरित किया जा सकता है। केवल प्रविष्टि को अक्षत रखकर नाम परिवर्तन किया जाना लाइसेंस अन्तरण की कोटि में नहीं आयेगा। ऐसे मामलों में आबकारी आयुक्त, दस हजार रुपये का संदाय किये जाने के अध्यक्षीन व्यापारिक नाम में परिवर्तन करने की अनुज्ञा दे सकता है।

होटल तथा रेस्तरां का क्रय-विक्रय

19-आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई लाइसेंसधारी जब तक कारबार की भागीदारी प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता है तब तक किसी अन्य व्यक्ति, जो नियमावली के अधीन अपात्र न हो, को अपने कारबार में भागीदारी के रूप में सम्मिलित नहीं करायेगा अथवा किसी विद्यमान भागीदार को बाहर नहीं करायेगा।

लाइसेंसधारी, किसी व्यक्ति को अपना भागीदार होने या न होने की घोषणा नहीं कर सकता है

परन्तु यह कि आबकारी आयुक्त, ऐसी जाँच, जिसे वह उचित समझे करने के पश्चात 10 प्रतिशत वार्षिक लाइसेंस फीस का भुगतान किये जाने पर लाइसेंसधारी को उसके अनुरोध पर तब तक किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को भागीदार (भागीदारों) के रूप में सम्मिलित करने अथवा किसी विद्यमान भागीदार (भागीदारों) को बाहर करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है, जब तक कारबार की भागीदारी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है :

परन्तु यह और कि जहां भागीदारी में कोई विघटन हो वहाँ उसकी सूचना आबकारी आयुक्त को दी जायेगी।

20-आबकारी आयुक्त द्वारा एक अवस्थिति से दूसरी अवस्थिति में लाइसेंस अवधि के दौरान लाइसेंस प्राप्त परिसर में परिवर्तन किए जाने की अनुज्ञा जिला स्तरीय बार समिति की इस संस्तुति के अध्यक्षीन 10 प्रतिशत वार्षिक लाइसेंस फीस का संदाय किये जाने पर प्रदान की जा सकती है कि नया परिसर नियमावली के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुरूप हो।

एक परिसर से दूसरे परिसर के लिए बार लाइसेंस का परिवर्तन किया जाना।

21-बार की अवस्थिति सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक होटल/रेस्तरां/क्लब जियो टैग किया जायेगा।

बार का जियो टैगिंग किया जाना

नियम का अध्यारोही
प्रवाह

22-यदि उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली, 2020 और अधिसूचना संख्या-36/दो-619-ख, दिनांक 2 अप्रैल, 1968 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश अधिभार फीस लाइसेंस पद्धति नियमावली, 1968 और अधिसूचना संख्या 9473/तेरह-2-213 दिनांक 25 मार्च, 1926 द्वारा प्रकाशित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन बनायी गयी विकृत स्प्रिट से भिन्न विदेशी मदिरा फुटकर विक्रय नियमावली और साथ ही साथ अधिसूचना संख्या 6144-ई/तेरह -637-77 दिनांक 10 नवम्बर, 1980 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश क्लब (विदेशी मदिरा परमिट अधिकार) नियमावली, 1980 के उपबंधों के मध्य कोई विवाद हो तो उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली, 2020 अभिभावी होगी।

इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व जारी बार लाइसेंसों की प्रस्थिति

23-(1) संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन अथवा इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी सहवर्ती विधि के अधीन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए किसी होटल या रेस्तरां या क्लब को विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा का फुटकर बिक्रय करने के लिए जारी किया गया कोई बार लाइसेंस तब तक विधि मान्य रहेगा और जारी रहेगा, जब तक कि उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली, 2020 गजट में प्रकाशित नहीं कर दी जाती है :

परन्तु यह और कि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यमान समस्त बार लाइसेंस, नियमावली के अधीन नवीकरण हेतु शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन नवीकरण के लिए हकदार होंगे।

(2) पूर्ववर्ती नियमावली के अधीन स्वीकृत किये गये समस्त बीयर बार लाइसेंस निम्नलिखित रीति से संचालित हुये माने जायेंगे:-

(क) होटल बीयर बार लाइसेंस एफ0एल0-7बी, प्रपत्र एफ0एल0-6 बार लाइसेंस के रूप में नामांतरित समझा जायेगा;

(ख) रेस्तरां बीयर बार लाइसेंस एफ0एल0-7ख, प्रपत्र एफ0एल0-7 रेस्तरां बार लाइसेंस के रूप में नामांतरित समझा जायेगा।

कारबार की अवधि

24-लाइसेंसधारी पूर्वाह्न 10:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक अपना कारबार करेगा :

परन्तु यह कि आबकारी आयुक्त सरकार की स्वीकृति से लाइसेंस अवधि के दौरान कारबार की अवधि में कोई परिवर्तन कर सकता है और लाइसेंसधारी को तदनुसार ऐसे परिवर्तित समय का अनुपालन करना होगा।

समारोह बार लाइसेंस, पूर्वाह्न 08:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे, जिसे लाइसेंस प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से रात्रि एक बजे तक किया जा सकता है, के मध्य निरन्तर छः घण्टों की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है।

राज्य में यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा अधिरोपित शर्तों के अध्यक्षीन एफ.एल.-8 लाइसेंसों में मदिरा परोसने का समय स्वीकृत किया जायेगा :

परन्तु यह और कि किसी भौगोलिक अवस्थिति के अन्तर्गत किसी श्रेणी के लाइसेंस की मदिरा परोसने और उसका उपभोग करने के समय में वृद्धि, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अतिरिक्त वार्षिक लाइसेंस फीस का संदाय किये जाने पर की जा सकती है।

शुष्क दिवस

25-लाइसेंस प्राप्त परिसर निम्नलिखित दिवसों में बंद रहेगा और कोई कारबार नहीं किया जायेगा, जिन्हें शुष्क दिवस के रूप में घोषित किया गया है;

(क) 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस

(ख) 14 अप्रैल, अम्बेडकर जयन्ती

(ग) 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस

(घ) 2 अक्टूबर, गांधी जयन्ती और

(ङ.) लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए यथा अधिसूचित 03 और दिवस।

लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अधीन कानून और व्यवस्था अथवा सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया-कलापों के कारण भी बार बंद करने के लिये आदेश दे सकता है:

परन्तु यह कि लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर को बन्द करने के लिये किसी प्रकार के प्रतिकर, जो भी हो, के लिये हकदार नहीं होगा।

26-वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशिष्ट और अविक्रित पाया गया विदेशी मदिरा के अधिशेष स्टॉक की घोषणा लाइसेंसधारी द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अगले दिन लाइसेंस प्राधिकारी के सम्मक्ष की जायेगी। इस सम्बन्ध में ऐसे स्टॉक का निस्तारण, आबकारी आयुक्त के निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

27-यदि लाइसेंस अवधि के दौरान लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है या उसे अभ्यर्पित कर दिया जाता है या उसकी समाप्ति पर उसका नवीकरण नहीं किया जाता है, तो लाइसेंसधारी को तत्काल लाइसेंस प्राप्त परिसर में अधिशेष में रखे गये विदेशी मदिरा के स्टॉक के सम्बन्ध में लाइसेंस प्राधिकारी को सूचित करना होगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन ही अधिशेष स्टॉक का निस्तारण करना होगा।

28-राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथाविहित दर पर विदेशी मदिरा के प्रत्येक बोतल के उपभोग पर विशेष फीस उद्ग्रहणीय होगी। लाइसेंस धारक को समस्त फीस अग्रिम में जमा करनी होगी। एफ0एल0-2, एफ0एल0-2ख एवं एफ0एल0-2घ के थोक लाइसेंसधारी द्वारा जारी एफ0एल0-36 पासों में संदत्त विशेष फीस की धनराशि का उल्लेख होगा।

29-निम्नलिखित व्यक्तियों को कोई विदेशी मदिरा बिक्रीत या प्रदत्त नहीं की जायेगी, अर्थात्:

(क) उन्मत्त व्यक्ति;

(ख) उन्मत्तता की स्थिति में होने या माने जाने वाले व्यक्ति;

(ग) ऐसे व्यक्ति जिनके सम्बन्ध में यह ज्ञात होता है या शंका व्यक्त की जाती है कि वे राजद्रोह, विद्रोह, शान्ति भंग या इसी तरह के लोकशांति और प्रशान्ति के प्रति चुनौती देने वाले अपराध करने में सहभागी हो सकते हैं;

(घ) 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति।

30-(1) लाइसेंसधारी ग्राहकों को केवल लाइसेंस परिसर के भीतर यथास्थिति सीलबन्द बोतलों में या पेग्स में उपभोग करने के लिए न कि लाइसेंस परिसर के बाहर ले जाने के लिए केवल शुल्क संदत्त विदेशी मदिरा का विक्रय करेगा।

(2) लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा का क्रय, एफ0एल0-2, एफ0एल0 2ख, एफ0एल 2घ के लाइसेंस धारक से अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी लाइसेंसधारी से करेगा। एफ0एल0-2घ के थोक लाइसेंस से किसी ब्राण्ड की उपलब्धता न होने की स्थिति में लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी के अनुमोदन से सीमा शुल्क बन्धपत्रों से विदेशी मदिरा प्राप्त कर सकता है।

(3) लाइसेंसधारी, किसी माइक्रो ब्रिवरी में विनिर्मित ड्राट बीयर का विक्रय करेगा जिसके लिए वह प्रपत्र एम०बी०-1 में विधिमान्य लाइसेंस धारित करता हो।

(4) लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर में अनुज्ञात थोक विक्रेताओं/किसी प्रकार के सीमा शुल्क बन्धपत्र, जिसे वह अधिनियम या नियमावली, विनियमावली या तदधीन कृत आदेशों के अधीन क्रय करने, स्टॉक करने या विक्रय करने हेतु प्राधिकृत हो, से क्रय किये गये स्टॉकों को छोड़कर विदेशी मदिरा का स्टॉक नहीं करेगा और न ही उसका विक्रय करेगा।

(5) लाइसेंसधारी, विदेशी मदिरा को लाइसेंस प्राप्त परिसर से भिन्न किसी अन्य स्थान पर स्टॉक नहीं करेगा। लाइसेंसधारी, लाइसेंस प्राप्त परिसर से बाहर या उसके समीप विदेशी मदिरा को अप्राधिकृत रूप से रखे जाने के लिये उत्तरदायी होगा।

(6) लाइसेंसधारी, सुसंगत नियमों के अधीन जारी किये गये परिवहन पासों के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त परिसर में विदेशी मदिरा का परिवहन करेगा।

(7) किसी बार में विदेशी मदिरा के प्रत्येक बोतल पर विनिर्माता का लेबल और सुरक्षा कोड के अतिरिक्त उसके ढक्कन पर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित लेबल लगा होगा।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अविक्रित/अवशिष्ट स्टॉक का निस्तारण

लाइसेंस रद्द किये जाने या उसका नवीकरण न किये जाने या उसका अभ्यर्पण किये जाने पर स्टॉक का निस्तारण।

विशेष फीस अधिरोपित किया जाना

विदेशी मदिरा कतिपय व्यक्तियों को प्रदत्त या बिक्रीत नहीं की जायेगी।

केवल शुल्क संदत्त विदेशी मदिरा का विक्रय

विदेशी मदिरा को मिश्रित न किया जाना

31-(1) लाइसेंस प्राप्त परिसर में बिक्री के लिए प्रस्तावित या उसमें भण्डारित विदेशी मदिरा घटिया, विकृत, नकली या मिलावटी नहीं होगी और लाइसेंसधारी, भारत निर्मित विदेशी मदिरा और विदेशी मदिरा के साथ किसी रूप में छेड़छाड़ नहीं करेगा जिससे कि उसकी गुणवत्ता, तीव्रता, प्रकृति या मात्रा में परिवर्तन न हो सके।

(2) यदि किसी सक्षम निरीक्षण अधिकारी के निरीक्षण में कोई विदेशी मदिरा उपयोग हेतु अनुपयुक्त, घटिया, मिलावटी या नकली पायी जाती है अथवा जिसके सम्बन्ध में यह विश्वास किया जाता है कि कोई पदार्थ मिश्रित किया गया है जिसके कारण वह किसी प्रक्रिया या रीति से उपभोग हेतु अनुपयुक्त हो जाय, तो निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी इसे विक्रीत किये जाने से रोक सकता है और उसे तत्काल जब्त कर सकता है और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।

लाइसेंस प्राप्त परिसर में कतिपय कृत्यों को प्रतिषिद्ध किया जाना

32-किसी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस के होते हुये भी लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर जुओं खेलना, नृत्य करना, अव्यवस्था या अश्लीलता सम्बन्धी अन्य कृत्य किया जाना सर्वथा प्रतिषिद्ध होगा।

लाइसेंस का अभ्यर्षण

33-लाइसेंसधारी, लाइसेंस प्राधिकारी को कम से कम एक माह की लिखित में नोटिस देकर अपना लाइसेंस अभ्यर्षित कर सकता है और ऐसी नोटिस प्राप्त किये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी, उसकी प्रतिभूति जमा से समस्त अवशिष्ट आबकारी देयों की वसूली करने की कार्यवाही करेगा और आबकारी आयुक्त का आदेश प्राप्त करने के पश्चात् अधिशेष धनराशि का प्रतिदाय करेगा।

अपनाये जाने वाले मानक उपाय

34-लाइसेंसधारी, केवल मानक उपायों का ही उपयोग करेगा, जैसा कि समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किया जाये। उक्त उपाय बांट एवं माप विभाग द्वारा सम्यक रूप से मुद्रांकित होने चाहिये।

कतिपय व्यक्तियों को आश्रय दिया जाना प्रतिषिद्ध है

35-ऐसे व्यक्ति, जो किसी अजमानतीय अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराये गये जाने जाते हों या माने जाते हों, जो वेश्या और आभ्यासिक अपराधी हों, को नियोजित नहीं किया जायेगा और न ही उन्हें लाइसेंस प्राप्त परिसर में एकत्रित होने या बने रहने की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी, और यदि ऐसे व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त परिसर में जाते हैं तो उक्त मामले की सूचना तत्काल लाइसेंसधारी द्वारा निकटतम पुलिस थाना को दी जायेगी।

बार लाइसेंस से सम्बन्धित प्रशमनीय उल्लंघनों के मामले में नीचे यथा निर्धारित न्यूनतम प्रशमन फीस अधिरोपित किया जायेगा

36-लाइसेंस प्राधिकारी, नीचे अनुसूची के स्तम्भ 3, 4 और 5 में विनिर्दिष्ट धनराशि के साथ स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिनियम के अधीन कृत तथा दण्डनीय अपराधों का प्रशमन कर सकता है:-

क्रमांक	अतिक्रमण के प्रकार	प्रथम बार अपराध के लिए (₹0 में)	द्वितीय बार अपराध के लिए (₹0 में)	तृतीय बार अपराध के लिए (₹0 में)
1	2	3	4	5
1	निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् बार का खुला पाया जाना।	2,500	3,000	5,000
2	अप्राधिकृत विक्रेता द्वारा मदिरा परोसते हुये पाया जाना।	5,000	7,000	10,000
3	बिक्री रजिस्टर और लेखा रजिस्टर को मॉगने पर न प्रस्तुत करना।	10,000	15,000	20,000
4	बिक्री एवं लेखा रजिस्टर अपूर्ण पाया जाना।	10,000	15,000	20,000
5	बोतलों और पैक्जों या उनके लेबल या बार कोड, पिल्फर प्रूफ कैप या सील से बिगाड़ करना।	10,000	15,000	20,000

क्रमांक	अतिक्रमण के प्रकार	प्रथम बार अपराध के लिए (रु० में)	द्वितीय बार अपराध के लिए (रु० में)	तृतीय बार अपराध के लिए (रु० में)
1	2	3	4	5
6	बार में बिक्री की वृद्धि हेतु ग्राहक को प्रलोभन देना, जैसे नृत्य या जुआ का आयोजन करना।	5,000	7,000	10,000
7	ड्यूटी पेड स्टॉक को अप्राधिकृत परिसर में भण्डार करना।	20,000	25,000	30,000
8	लेखानुसार मात्रा से अधिक ड्यूटी पेड स्टॉक का पाया जाना।	25,000	30,000	50,000
9	बार में मद्य निषेध, दिवसों/बन्दी के दिनों में मदिरा की बिक्री करते हुए पाया जाना।	30,000	40,000	50,000
10	बिना अनुमति के बार परिसर में किसी प्रकार का परिवर्तन करना।	20,000	25,000	30,000
11	बार परिसर के बाहर एवं अन्दर नियमानुसार साइन बोर्ड में आवश्यक सूचना प्रदर्शित न करना अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से प्रदर्शित करना।	5,000	10,000	20,000
12	बार में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था न पाया जाना।	2,000	5,000	10,000
13	यदि किसी एक लाइसेंसधारी को निर्गत की गई मदिरा दूसरे बार लाइसेंस के परिसर में पाई जाती है।	25,000	50,000	लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही।
14	बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से ग्राहकों को उत्प्रेरित करने के लिए अवलम्ब लेते हुये पाये जाने पर, जैसे कि पीने की प्रतियोगिता।	25,000	50,000	लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही।
15	अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक-01 से 14 के अधीन उल्लिखित न हो	2,000	5,000	10,000

37-(1) लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस का निलम्बन अथवा निरस्तीकरण कर सकता है:-

लाइसेंस का निलम्बन एवं निरस्तीकरण

(क) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई ऐसी बोटल पायी जाती है, जिसका प्रतिफल फीस संदत नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी विभाग, द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित सुरक्षा कोड लगा नहीं पाया जाता है।

(ख) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर से किसी अन्य प्रकार की मदिरा अथवा मादक औषधि (जिस हेतु लाइसेंस स्वीकृत न किया गया हो) पायी जाती है अथवा किसी अन्य प्रकार का कारबार किया जाता है।

(ग) यदि अधिनियम अथवा नियमावली के उपबंधों के विरुद्ध लाइसेंसधारी के कब्जे से कोई मदिरा या मादक द्रव्य पाया जाता है।

(घ) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ-पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें दिया गया कथन असत्य पाया जाता है।

(ङ) यदि लाइसेंसधारी अधिनियम के अधीन किसी दण्डनीय अपराध में या किसी संज्ञेय और अजमानतीय अपराध में या स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी दण्डनीय अपराध में दोष सिद्ध पाया जाता है।

(च) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में ऐसी कोई बोटल/पात्र पाया जाता है, जिस पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित नहीं है।

(छ) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस गलत नाम से प्राप्त किया गया है और लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त लाइसेंस धारण किये हुये है।

(ज) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा में किसी प्रकार का अपमिश्रण या तनुकरण या उच्च श्रेणी की मदिरा के साथ निम्न श्रेणी की मदिरा का मिश्रण पाया जाता है।

(2) लाइसेंस प्राधिकारी, तत्काल लाइसेंस निलम्बित कर देगा, और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति जमा को समपहृत करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी करेगा। लाइसेंसधारी अपना स्पष्टीकरण नोटिस की प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। तत्पश्चात्, लाइसेंस प्राधिकारी, यदि वह ऐसा चाहे तो लाइसेंसधारी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

(3) यदि लाइसेंस, लाइसेंस के किन्हीं नियमों और शर्तों के अतिक्रमण के लिये निरस्त किया जाता है तो उसके द्वारा लाइसेंस फीस और जमा प्रतिभूति धनराशि को सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा और इस नियमावली के अधीन लाइसेंस के निलम्बन या निरस्तीकरण की दशा में लाइसेंसधारी किसी प्रतिकर या प्रतिदाय के दावे का हकदार नहीं होगा। ऐसे लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा उसे आबकारी के किसी अन्य लाइसेंस को धारण करने से विवर्जित किया जा सकता है।

38—यदि आवेदन या इनमें से किसी नियम के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई संदेह या विवाद होता है, तो इस पर आबकारी आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा।

आज्ञा से,
संजय आर० भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।

कठिनाईयों का
निवारण

प्रपत्र-क
बार लाइसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र
(नियम-7(2) देखें)

टिप्पणी :- आवेदक/आवेदकों के नाम, आयु और पता/पते (यदि आवेदक एक फर्म है, फर्म के प्रत्येक भागीदार के नाम व पते तथा यदि एक कम्पनी है, तो उसका रजिस्ट्रीकृत नाम और पता,निदेशकों, प्रबंधकों तथा अभिकर्ताओं और यदि वह प्रबंध निदेशक है तो ऐसे निदेशक के नाम) का उल्लेख होना चाहिए।

होटल बार/रेस्तरां बार/क्लब बार का नाम.....जिसके लिए आवेदन किया गया है
आवेदक की श्रेणी : **व्यैक्तिक/स्वत्वधारी फर्म/भागीदारी फर्म/कम्पनी/कानूनी देयता वाली भागीदारी फर्म/सोसाइटी/क्लब**

आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो	सह आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
-----------------------------------	--------------------------------------

सेवा में,

जिला कलेक्टर,

जिला

द्वारा

जिला आबकारी अधिकारी,

महोदय,

मैं/हम.....पुत्र.....

निवासी.....जिला एतद्वारा अभ्यर्थी/अभ्यर्थीगण के रूप में, होटल/रेस्तरां/क्लब में भागीदारी अथवा किसी रजिस्ट्रीकृत कम्पनी अथवा एक रजिस्ट्रीकृत समिति अथवा एक रजिस्ट्रीकृत/अरजिस्ट्रीकृत फर्म अथवा एक स्वत्वधारी/ पट्टेदार के रूप में होटल बार/रेस्टोरेन्ट बार/क्लब बार लाइसेंस हेतु जैसा ऊपरलिखित है, के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

2- मैंने/हमने उपर्युक्त लाइसेंस हेतु आवेदन फीस की कुल धनराशि
रु०..... चालान
संख्या दिनांक

द्वारा कोषागार में जमा कर दिया है,

जिसकी प्रति संलग्न है।

- 3- यह कि मैं/हम संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक आबकारी विभाग के समस्त नियमों, विनियमों तथा आवेदित लाइसेंस की शर्तों का पालन करेंगे और यह कि मैं/हम संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक समस्त राजकीय देयों का संदाय करने हेतु उत्तरदायी होंगे, यदि मेरा/हमारा बार लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है।
- 4- मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम नियमों में विहित किसी ऐसी निरर्हता से पीड़ित नहीं है, जो मुझे/हमें, लाइसेंस, जिसके लिये आवेदन किया है, धारण करने से अपात्र करता है।
- 5- मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि जहाँ तक मेरे/हमारे संज्ञान तथा विश्वास में है कि पब्लिक नोटरी के माध्यम से सम्यक रूप से सत्यापित संलग्न शपथ-पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचनायें, पूर्ण तथा सत्य है।

संलग्नक:- पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित शपथ-पत्र की सत्य प्रतिलिपि।

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदनकर्ता या आवेदनकर्ताओं के हस्ताक्षर

आवेदक का शपथ-पत्र**(नियम-7(4) को देखें)**

आवेदक पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित शपथ-पत्र, लाइसेंस प्राधिकारी/जिला कलेक्टर के समक्ष निम्नलिखित प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर रहा है अर्थात:-

- (क) यह कि वह होटल/रेस्तरां/क्लब का स्वामी या पट्टाधारक है या उसके पास समय समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और प्रास्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार परिसर स्वामी का पट्टा विलेख या सहमति-पत्र है।
- (ख) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा किसी अन्य संज्ञेय और गैरजमानती अपराध के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है।
- (ग) यह कि वह उस जिला, जिस जिला का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा और उसमें यह दर्शित होगा कि उसका और साथ ही साथ उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक रिकार्ड नहीं है, भागीदारी फर्म/कम्पनी का आवेदक होने के मामले में फर्म के प्रत्येक भागीदारी/कंपनी के निदेशक या प्रबंधक या प्रबंध अधिकर्ता या प्रबंध निदेशक को उस जिला, जिस जिला का वह निवासी हो, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह दर्शित होगा कि उसका और साथ ही साथ उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उसका अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक रिकार्ड नहीं है।
- (घ) यह कि वह विक्रेता या उसके प्रतिनिधि, जिसका आपराधिक पृष्ठभूमि हो या जो संक्रामक रोग से ग्रसित हो या जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो या महिला हो, को नियोजित नहीं करेगा।
- (ङ) यह कि उसके पास कोई लोक या सरकारी देयों का बकाया नहीं है।
- (च) यह कि वह ऋणशोधन सक्षम है और आवश्यक निधियां रखता है या कारबार को संचालित करने हेतु आवश्यक निधियों की व्यवस्था करता है, जिसका विवरण, यदि अपेक्षित हो, लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा।
- (छ) यह कि वह न तो किसी मदिरा बोटल भराई का लाइसेंस धारक है और न ही एल्कोहल का उत्पादक/विनिर्माणकर्ता है।
- (ज) यह कि वह बार परिषद् का रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता या कोई डाक्टर या कोई कंपनी सचिव या चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात वह उपरोक्त में से किसी में लिप्त पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।
- (झ) यह कि वह एक सरकारी सेवक नहीं है। सरकारी सेवक पाये जाने की दशा में उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।
- (ञ) यह कि उसके अधिष्ठान का परिसर राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग के बफर परिक्षेत्र/ प्रतिषिद्ध परिक्षेत्र के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।
- (ट) यह कि उसके पास यानों की पार्किंग के लिए समुचित और पर्याप्त स्थान है और जिससे यातायात उपताप कारित नहीं होगा और यदि ऐसा पाया जाता है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।
- (ठ) यह कि वह रेस्तरां/होटल परिसर में अग्निशमन सुरक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र उपबंधित करेगा।

दिनांक.....

अनुप्रमाणनकर्ता का हस्ताक्षर.....

आवेदक का पूरा नाम और हस्ताक्षर.....

अनुप्रमाणित करने वाले अधिकारी का पदनाम.....

आवेदक का पूरा पता.....

प्रपत्र- ख

समारोह बार लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु आवेदन-पत्र
(नियम-7(3) देखें)

- 1- मोबाइल संख्या सहित आवेदक का नाम और पता (उत्सव/समारोह का आयोजक) (व्यक्ति/क्लब/संस्था/होटल/रेस्तरां/भोजशाला/रिसोर्ट/फार्म हाउस/विवाहगृह आदि)-----
- 2- मोबाइल संख्या सहित उत्सव आयोजक/समारोह प्रबन्धक (यदि कोई हो)का नाम और पता (व्यक्ति/क्लब/संस्था/होटल/रेस्तरां/भोजशाला/रिसोर्ट/फार्म हाउस/विवाहगृह आदि)-----
- 3- मोबाइल संख्या सहित समारोह स्थल का नाम और पता, (व्यक्ति/क्लब/संस्था/होटल/रेस्तरां/भोजशाला/रिसोर्ट/फार्म हाउस/विवाहगृह आदि)-----
- 4- समारोह का प्रयोजन-..... वाणिज्यिक/अवाणिज्यिक
- 5- समारोह का दिनांक समय.पूर्वाह्न/अपरान्ह से..... पूर्वाह्न/अपरान्ह.....तक
- 6- समारोह में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या

- 7- अतिथियों के उपभोग हेतु बिक्री के लिए अपेक्षित बोतलों में विदेशी मदिरा/बीयर आदि की अनुमानित मात्रा

क्रम संख्या	श्रेणी	ब्राण्ड का नाम	मात्रा	मूल्य

- 8- आवेदक के समारोह स्थल के नगर/सेक्टर के कार्यक्षेत्र में आने वाले वांछित दुकानों या किन्हीं अन्य दुकानों का नाम जहाँ से मदिरा खरीदी जाएगी।.....
- 9- विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकान के प्राधिकृत विक्रेता द्वारा की गई उपरोक्त मांग का प्राक्कलन, दिनांक के साथ प्राधिकृत विक्रेता की मोबाइल संख्या और हस्ताक्षर सहित विक्रेताओं के नाम और पता
- 10- जमा चालान का ब्यौरा-जमा धनराशि ₹०.....कोषागार चालान संख्या..... दिनांक.....
बैंक/कोषागार का नाम.....

टिप्पणी:-

- 1- क्रम संख्या 7 के अधीन विवरण हेतु अपर्याप्त स्थान होने पर अलग से विवरण संलग्न किया जा सकता है।
- 2- दिन की गणना समारोह अवधि में अर्धरात्रि तक की जायेगी। यदि समारोह उसके बाद भी जारी रहता है तो अगले दिन के लिए अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क संदेय होगा।
- 3- फुटकर दुकान का विक्रेता, क्रम सं०-9 से सम्बन्धित अपेक्षित प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात् आवेदन-पत्र आवेदक को तत्काल वापस करेगा।

आवेदक का हस्ताक्षर.....
आवेदक का नाम.....
आवेदक का पूरा पता.....
आवेदक का दूरभाष/मो० सं०.....

प्रपत्र-एफ०एल०-6

आवासीय होटल / तारांकित होटल / यू.पी.टी.डी.सी. और आई.टी.डी.सी. द्वारा संचालित होटलों और पर्यटक बंगलों के परिसर में उपभोग के लिए विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस [नियम -3 (एक) देखें]

आवेदक का
फोटो

सह आवेदक का
फोटो

होटल बार का
फोटो

लाइसेंस सं० _____ होटल बार का अक्षांश/देशांतर.....

परिक्षेत्र का नाम _____

लाइसेंस धारक का नाम और पता _____

अनुमोदित प्रबंधक/विक्रेता/बार परिचारक का ब्यौरा

आवेदन शुल्क रू० _____ (अंको में) _____ (शब्दों में)

लाइसेंस शुल्क रू० _____ (अंको में) _____ (शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रू० _____ (अंको में) _____ (शब्दों में)

परिसर का विस्तृत विवरण (चौहद्दी सहित)

पुलिस थाना _____ तहसील _____

1-उत्तर

2-दक्षिण

3-पूरब

4-पश्चिम

विकृत स्प्रिट से निम्न विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु.....को जिला.....स्थिति में.....से..... तक की अवधि के लिए, जिस हेतु रू०.....का अग्रिम भुगतान किया गया है और प्रतिभूति जमा की गई है, निम्नलिखित विशिष्ट और सामान्य शर्तों के अधीन एतद्वारा लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है, इनमें से किसी का उल्लंघन किये जाने पर अथवा संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 या स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी, पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किये जाने पर लाइसेंसधारक उपर्युक्त विधियों के अधीन आरोपित किन्ही शास्तियों के अतिरिक्त लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और अग्रिम में जमा प्रारम्भिक फीस को समपहृत किये जाने का भागी होगा।

विशेष शर्तें

- 1-बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में की जाएगी और मदिरा का उपभोग भी परिसर में ही किया जायेगा।
- 2-लाइसेंसधारक विहित (प्रपत्र एफ०एल०-25) में नियमित और सही-सही लेखा अनुरक्षित करेगा और उसे सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के मांग करने पर निरीक्षण हेतु परिवहन पास सहित प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी विक्रय विवरणी, जैसी अपेक्षित हो, क्लेक्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी आबकारी विभाग की बेवसाइट पर विहित प्रपत्र में ऑनलाइन सूचना भी अपलोड करायेगा।
- 3-बिक्री प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 10:00 बजे से रात्रि 12 बजे तक या आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अतिरिक्त फीस का भुगतान किये जाने पर अन्य बढ़ाये गये समय तक क्री जायेगी।
- 4-लाइसेंस प्राप्त परिसर के प्रवेश द्वार पर एक सूचना पट्टिका लगायी जाएगी जिस पर लाइसेंसधारक का नाम और पदनाम "लाइसेंस प्राप्त एफ०एल०-6 होटल बार" अंकित किया जायेगा।
- 5-लाइसेंसधारक उपरोक्त परिसर के महत्वपूर्ण स्थल पर निम्नलिखित चेतावनी प्रदर्शित करेगा:-
"शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है"

- 6-मदिरा की बिक्री बीयर को छोड़कर केवल सीलबंद बोतल अथवा पेग में की जा सकेगी (एक पेग 60 मि०ली० तथा आधा पेग 30 मि०ली० के बराबर होगा)। 20 लीटर, 30 लीटर, अथवा 50 लीटर के केग्स में प्राप्त बीयर की बिक्री केग्स में की जा सकेगी।
- 7-परोसने और उपभोग करने के लिए तात्पर्यित प्रत्येक मदिरा की बोतल पर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित लेबिल अवश्य लगा होना चाहिए।
- 8-लाइसेंस धारक प्रपत्र एफ०एल०-2, एफ०एल०-2बी और एफ०एल०-2डी में लाइसेंस रखने वाले थोक लाइसेंसधारी से मानक बोतलों में मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा।
- 9-मदिरा में हानिकारक या जहरीले पदार्थ का किसी प्रकार से मिश्रण किया जाना संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की सुसंगत धारा के अधीन दंडनीय होगा।
- 10-लाइसेंस प्राप्त परिसर में शस्त्र ले जाना सर्वथा प्रतिषिद्ध होगा।
- 11-सूचना पट्टिका में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सूचना अनिवार्य रूप में प्रदर्शित की जायेगी:-
 (एक) परिसर के अंदर शस्त्र ले जाना सर्वथा प्रतिषिद्ध है।
 (दो) शराब पीकर वाहन न चलायें। शराब पीकर वाहन चलाना जीवन के लिए घातक है।
- 12-लाइसेंस प्राप्त परिसर मदिरा परोसने और उपभोग करने के लिए 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बंदी के लिए यथा अधिसूचित 03 और दिवसों को छोड़कर समस्त दिनों में खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन संबंधी क्रियाकलाप के कारण बार बन्द करने के लिए भी आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधारों पर बार की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर प्रदान नहीं किया जायेगा।
- 13-लाइसेंसधारक, आबकारी मैनुअल भाग एक में समय-समय पर सम्मिलित किये गये सभी नियमों और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर किये गये निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

जिला—



कलेक्टर

दिनांक—

.....

प्रपत्र-एफ०एल०-7

रेस्तरां परिसर में उपभोग हेतु विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस
[(नियम -3 (2) देखें)]



लाइसेंस सं० _____ रेस्तरां बार का अक्षांश/देशांतर

परिक्षेत्र का नाम _____

लाइसेंस धारक का नाम और पता _____

अनुमोदित प्रबंधक/विक्रेता/बार परिचारक का ब्यौरा

आवेदन शुल्क रू० _____ (अंको में) _____ (शब्दों में)

लाइसेंस शुल्क रू० _____ (अंको में) _____ (शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रू० _____ (अंको में) _____ (शब्दों में)

परिसर का विस्तृत विवरण (चौहद्दी सहित)

पुलिस स्टेशन _____ तहसील _____

1-उत्तर

2-दक्षिण

3-पूरब

4-पश्चिम

विकृत स्प्रिट से भिन्न विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु _____ को जिला _____ स्थित _____ में _____ से _____ तक की अवधि के लिए जिसके हेतु रू० _____ का अग्रिम भुगतान किया गया है एवं प्रतिभूति जमा की गई है, निम्नलिखित विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के अधीन लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है। इनमें से किसी का उल्लंघन किये जाने पर या आबकारी अधिनियम 1910 या स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध पाये जाने पर लाइसेंसधारी उपरोक्त विधियों के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के अतिरिक्त लाइसेंस तथा अग्रिम जमा समपहृत किये जाने का भागी होगा -

विशेष शर्तें

- 1- बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में की जाएगी और मदिरा का उपभोग भी परिसर में ही किया जायेगा।
- 2- लाइसेंसधारी विहित (प्रपत्र एफ०एल०-25) में नियमित रूप से सही सही लेखा अनुरक्षित करेगा और सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर निरीक्षण हेतु परिवहन पास सहित प्रस्तुत करेगा तथा यथा अपेक्षित बिक्री विवरणी कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी आबकारी विभाग की बेंवसाइट पर भी विहित प्रपत्र में ऑनलाइन सूचना अपलोड करायेगा।
- 3- बिक्री प्रतिदिन पूर्वान्ह 10:00 से 12 बजे रात तक अथवा आबकारी विभाग द्वारा यथा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किये जाने पर अन्य बढ़ायी गयी अवधि तक की जायेगी।

- 4- लाइसेंस प्राप्त परिसर के प्रवेश द्वार पर एक सूचना पट्टिका लगायी जाएगी जिस पर लाइसेंसधारी का नाम और पदनाम " विदेशी मदिरा का लाइसेंस एफ0एल0-7 रेस्टोरेन्ट बार " अंकित किया जायेगा।
- 5- लाइसेंसधारक उपरोक्त परिसर के महत्वपूर्ण स्थल पर निम्नलिखित चेतावनी प्रदर्शित करेगा-

"शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है"

- 6- मदिरा की बिक्री बीयर को छोड़कर सीलबन्द बोतल अथवा पेग (एक पेग 80 मि०ली० के बराबर और आधा पेग 30 मि०ली० के बराबर) में की जा सकेगी। 20 ली०, 30लीटर, अथवा 50 लीटर के केम्स में प्राप्त बीयर की बिक्री पेम्स में की जा सकेगी।
- 7- परोसने और उपभोग के लिए रखी गई प्रत्येक मदिरा की बोतलों पर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित लेबिल अवश्य लगा होना चाहिए।
- 8- लाइसेंस धारक प्रपत्र एफ0एल0-2, एफ0एल0-2बी और एफ0एल0-2डी में थोक लाइसेंस रखने वाले लाइसेंसधारी से मानक बोतलों में मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा।
- 9- उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की सुसंगत धारा के अधीन मदिरा में किसी भी प्रकार के हानिकारक या जहरीले पदार्थ को मिश्रित किया जाना दंडनीय होगा।
- 10- लाइसेंस प्राप्त परिसर में हथियारो को ले जाना सर्वथा प्रतिषिद्ध होगा।
- 11- साइन बोर्ड में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचनायें अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जायेंगी:-
(एक) परिसर के अंदर शस्त्र ले जाना सर्वथा प्रतिषिद्ध होगा।
(दो) शराब पीकर वाहन न चलायें। शराब पीकर गाड़ी चलाना जीवन के लिए घातक है।
- 12- लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 अन्य दिवसों तक, जैसा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित करें, को छोड़कर सभी दिवसों में मदिरा परोसने एवं उपभोग करने हेतु खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी, सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से संबंधित क्रियाकलाप के कारण बार की बंदी हेतु आदेश भी कर सकता है। उपरोक्त आधार पर बार की बन्दी हेतु कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।
- 13- लाइसेंसधारी आबकारी मैनुअल भाग एक में समय-समय पर सम्मिलित किये गये सभी नियमों और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर किये गये निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

जिला—

दिनांक—

कलेक्टर

.....

क्लब परिसर में उपभोग हेतु विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री का लाइसेंस

[(नियम -3 (3) देखें)]

आवेदक का फोटो

सह आवेदक का फोटो

क्लब बार का फोटो

लाइसेंस सं० _____ क्लब बार का अक्षांश/देशांतर.....

इलाके का नाम _____

क्लब का नाम _____

लाइसेंस धारक का नाम _____

अनुमोदित प्रबंधक/विक्रेता/बार परिचारक का ब्यौरा

आवेदन शुल्क रू० _____ (अंकों में) _____ (शब्दों में)

लाइसेंस शुल्क रू० _____ (अंकों में) _____ (शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रू० _____ (अंकों में) _____ (शब्दों में)

परिसर का विस्तृत विवरण (चौहद्दी सहित)

थाना _____ तहसील _____

1-उत्तर

2-दक्षिण

3-पूरब

4-पश्चिम

विदेशी मदिरा (परिशोधित स्पिरिट और विकृत स्पिरिट से भिन्न) की बिक्री हेतु.....को उपरोक्त वर्णित परिसर के लिए जिला.....मेंसे.....तक की अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित शुल्क के अग्रिम भुगतान और संदत्त प्रतिभूति रू०..... पर निम्नलिखित विशेष शर्तों जो आबकारी अधिनियम 1910 के अधीन सभी परमिट धारकों लाइसेंस हेतु बाध्यकारी सामान्य शर्तों के अतिरिक्त हैं, के अध्यक्षीन एतद्द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इनमें से किसी का उल्लंघन किये जाने पर या आबकारी अधिनियम 1910 या स्वापक ओषधि तथा मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध पाये जाने पर पूर्वोक्त लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और अग्रिम जमा प्रारम्भिक फीस समपहृत किये जाने के अतिरिक्त रद्द किये जाने योग्य होगा।

विशेष शर्तें

- 1- विदेशी मदिरा किसी अनुमोदित व्यक्ति द्वारा, ऊपर विस्तृत रूप से वर्णित परिसर के भीतर क्लब के सदस्यों और उनके नियमित अतिथियों को आपूर्ति की जायेगी/परोसी जायेगी और उसका उपभोग ऐसे परिसर में ही किया जायेगा।
- 2- लाइसेंसधारक प्रपत्र एफ०एल०-25 (या आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथाविहित किये जाने वाले किसी अन्य प्रपत्र) में विहित रजिस्टर में नियमित लेखा अनुरक्षित करेगा। लाइसेंसधारी आबकारी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन सूचना अपलोड करेगा।
- 3- लाइसेंसधारक या उसका अनुमोदित विक्रेता ऊपर विस्तृत रूप से उल्लिखित परिसर का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर परिवहन पास और प्रपत्र एफ०एल०-25 रजिस्टर तत्काल उपलब्ध करायेगा। प्रपत्र एफ०एल०-25 रजिस्टर सदैव उपरोक्त परिसर में रखा जायेगा।

- 4- बिक्री पूर्वान्ह 10:00 से रात्रि 12-00 बजे तक अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किये जाने पर बढ़ायी गयी अन्य अवधि में की जायेगी।
- 5- लाइसेंसधारी उपरोक्त परिसर के महत्वपूर्ण स्थल पर निम्नलिखित चेतावनी प्रदर्शित करेगा-
 "शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है"
- 6- मदिरा की बिक्री सीलबन्द बोतलों में अथवा बीयर को छोड़कर पेग्स (एक पेग 80 मि०ली० के बराबर और आधा पेग 30 मि०ली० के बराबर) में की जा सकेगी। 20 ली०, 30 लीटर, अथवा 50 लीटर के केग्स में प्राप्त बीयर की बिक्री पेग्स में की जा सकेगी।
- 7- लाइसेंसधारी अपने द्वारा आपूर्ति/परोसी गई विदेशी मदिरा को ऊपर विस्तृत रूप में वर्णित परिसर के बाहर उपभोग करने की अनुमति नहीं देगा।
- 8- परोसने और उपभोग के लिए रखी गई मदिरा की प्रत्येक बोतल पर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित लेबिल अवश्य लगा होना चाहिए।
- 9- लाइसेंसधारी ऊपर विस्तृत रूप से वर्णित परिसर में नशे में धुत होने से बचने का प्रबन्ध करेगा।
- 10- लाइसेंसधारी क्लब गठित किये जाने में अथवा अध्यक्ष अथवा सचिव के नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में तत्काल कलेक्टर को सूचित करेगा।
- 11- लाइसेंस धारी प्रपत्र एफ०एल०-2, एफ०एल०-2बी और एफ०एल०-2डी में थोक लाइसेंस रखने वाले लाइसेंसधारी से मानक बोतलों में मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा।
- 12- उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की सुसंगत धारा के अधीन मदिरा में किसी भी प्रकार के हानिकारक या जहरीले पदार्थ को मिश्रित किया जाना दंडनीय होगा।
- 13- लाइसेंस प्राप्त परिसर में शस्त्र ले जाना सर्वथा प्रतिषिद्ध होगा।
- 14- साइन बोर्ड में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सूचना अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जायेगी:-
 (एक) परिसर के अंदर शस्त्र ले जाना सर्वथा प्रतिषिद्ध है।
 (दो) शराब पीकर वाहन न चलाये, शराब पीकर वाहन चलाना जीवन के लिए घातक है।
- 15- लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 अन्य दिवसों तक, जैसा लाइसेंस प्राधिकारी बन्दी के लिए अधिसूचित करें, को छोड़कर सभी दिवसों में मदिरा परोसने एवं उपभोग करने हेतु खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी, सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से संबंधित क्रियाकलाप के कारण बार की बन्दी हेतु आदेश भी कर सकता है। उपरोक्त आधार पर बार की बन्दी हेतु कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।
- 16- लाइसेंसधारक आबकारी मैन्युअल भाग एक में समय-समय पर सम्मिलित किये गये सभी नियमों और आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

जिला.....

कलेक्टर

दिनांक.....

प्रपत्र-एफ०एल०- ए.एल.1

हवाई अड्डे के परिसर में उपभोग हेतु विदेशी मदिरा की बिक्री के लिए लाइसेंस

[[नियम -3 (5) देखें]]

आवेदक का फोटो

हवाई अड्डे के बार
का फोटो

लाइसेंस सं०_____

हवाई अड्डे का नाम_____

लाइसेंस धारक का नाम_____

अनुमोदित प्रबंधक/विक्रेता/बार परिचारक का ब्यौरा

आवेदन शुल्क रू०_____ (अंकों में)_____ (शब्दों में)

लाइसेंस शुल्क रू०_____ (अंकों में)_____ (शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रू०_____ (अंकों में)_____ (शब्दों में)

परिसर का विस्तृत विवरण (चौहद्दी सहित)

पुलिस थाना_____ जिला_____

1-उत्तर

2-दक्षिण

3-पूरब

4-पश्चिम

परिष्कृत सिट से निम्न विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री का लाइसेंस एतद्वाराको उपरोक्त वर्णित परिसर के लिए जिला.....मेंसे.....तक की अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित शुल्क के अग्रिम भुगतान और संदल्ल प्रतिभूति धनराशि रू०..... पर निम्नलिखित विशेष एवं सामान्य शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है, इनमें से किसी का उल्लंघन किये जाने पर वा संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक और निष्पा मन्-प्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध पाये जाने पर लाइसेंस पूर्वाक्त लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और अग्रिम में जमा की गई गारन्टिक फीस समपहृत किये जाने के अतिरिक्त रद्द किये जाने योग्य होगा-

विशेष शर्तें

1. मदिरा की बिक्री केवल सद्भावी पर्यटकों को लाइसेंस प्राप्त परिसर में उपभोग के लिए की जायेगी।
2. लाइसेंसधारक विहित रजिस्टर (प्रपत्र एफ०एल०-25) में नियमित रूप से सही सही लेखा रखेगा और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अध्यक्षता पर निरीक्षण किये जाने हेतु उसे प्रस्तुत करेगा तथा जैसा अपेक्षित हो, ऐसे बिक्री का विवरण, कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी आबकारी विभाग की वेबसाइट पर विहित प्रपत्र में आनलाइन सूचना भी अपलोड करेगा।
3. बिक्री, प्रतिदिन पूर्वाह्न 10:00 बजे से रात्रि 12 बजे तक की जाएगी अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अतिरिक्त फीस जमा किये जाने पर बढ़ायी गयी अन्य समय अवधि में बिक्री की जायेगी।
4. लाइसेंस प्राप्त परिसर के प्रवेश द्वार पर एक सूचना पट्टिका लगायी जाएगी जिस पर लाइसेंसधारक का नाम और पदनाम "लाइसेंस प्राप्त एफ०एल०:ए०एल०-1 हवाई अड्डा परिवहन विश्रान्तिका बार" अंकित किया जायेगा।

5. मदिरा की बिक्री बीयर को छोड़कर सीलबन्द बोतल या पेग में की जा सकेगी (एक पेग 60 मि०ली० तथा आधा पेग 30 मि०ली० के बराबर होगा)। 20 ली०, 30 लीटर, अथवा 50 लीटर के केग्स में प्राप्त बीयर की बिक्री केग्स में की जा सकेगी।
6. परोसने और उपभोग करने के लिए तत्परित, प्रत्येक सीलबन्द मदिरा के बोतल पर आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित लेबिल अवश्य लगा होना चाहिए।
7. लाइसेंसधारक प्रपत्र एफ०एल०-2, एफ०एल०-2बी और एफ०एल०-2डी में लाइसेंस रखने वाले थोक लाइसेंसधारी से मानक बोतलों में मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा।
8. संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की सुसंगत धारा के अधीन मदिरा में किसी भी प्रकार के क्षतिकारी या अपायकर पदार्थ को मिश्रित किया जाना दंडनीय होगा।
9. लाइसेंस प्राप्त परिसर में हथियारों को ले जाना सख्ती से वर्जित होगा।
10. साइन बोर्ड में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचनायें प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा:-
 (एक) हथियारों को परिसर के अंदर ले जाना सख्त वर्जित है।
 (दो) मदिरा पी कर गाड़ी चलाना निषिद्ध है। मदिरा पीकर वाहन चलाना जीवन के लिए घातक है।
11. लाइसेंस प्राप्त परिसर, मदिरा परोसने एवं उपभोग करने के लिए 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 अन्य दिवसों तक, जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर समस्त दिवसों में खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन कानून-व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से संबंधित क्रियाकलाप के कारण बार बंद किये जाने का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधारों पर बार बन्द किये जाने के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।
12. लाइसेंसधारक आबकारी मैनुअल भाग एक और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित निदेशों में निहित समस्त विधियों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

ज़िला.....

कलेक्टर

दिनांक.....

प्रपत्र-एफ०एल०-8

विलासी ट्रेनों/क्रूज बोटों के भोजन कक्ष/स्थान पर सद्भावी पर्यटकों के उपभोग हेतु विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री और उसे परोसने के लिए लाइसेंस

[[नियम- 3(6) देखें]]

विलासी ट्रेन संख्याकी ठेकेदारी फर्म/रजिस्ट्रीकृत क्रूजबोट संख्या..... के प्राधिकृत यात्रा अभिकर्ता को उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से होकर गुजरने वाली विलासी ट्रेन/क्रूजबोट के भोजन कक्ष/स्थान में सद्भावी पर्यटकों को विदेशी मदिरा की बिक्री एवं परोसने की अनुमति दिये जाने के उद्देश्य से दिनांकसेतक की अवधि के लिए लाइसेंस फीस रू०.....का अग्रिम भुगतान किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्वारा लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है, इनमें से किसी का व्यतिक्रमण किये जाने पर लाइसेंस निरस्त करने सहित इस लाइसेंस के निमित्त अग्रिम जमा लाइसेंस शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।

शर्तें

- केवल सद्भावी पर्यटकों को लाइसेंस प्राप्त परिसर में उपभोग करने हेतु मदिरा की बिक्री की जायेगी। पर्यटकों को लाइसेंस प्राप्त परिसर से बाहर मदिरा ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- लाइसेंसधारक नियमित रूप से मदिरा की प्राप्ति एवं बिक्री का सही सही लेखा रखेगा और सक्षम प्राधिकारी की अध्यक्षता पर निरीक्षण हेतु उसे प्रस्तुत करेगा।
- लाइसेंस प्राप्त परिसर राज्य के भीतर यात्रा की अवधि में मदिरा परोसने एवं उपभोग के लिए जिला प्रशासन द्वारा अधिरोपित शर्तों के अधीन 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 अन्य दिवसों तक, जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाये को छोड़कर समस्त दिवसों में खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से संबंधित क्रियाकलाप के कारण बार बंद किये जाने का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधारों पर बार बंद किये जाने के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।
- मदिरा की बिक्री केवल सील बंद बोतल अथवा बीयर को छोड़कर पेग में की जा सकेगी (एक पेग 60 मि०ली० तथा आधा पेग 30 मि०ली० के बराबर होगा)। 20 ली०, 30 लीटर, अथवा 50 लीटर के केग्स में प्राप्त बीयर की बिक्री केग्स में की जा सकेगी।
- लाइसेंसधारक प्रपत्र एफ०एल०-2, एफ०एल०-2बी और एफ०एल०-2डी में लाइसेंस रखने वाले थोक लाइसेंसधारी से मानक बोतलों में मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा।
- लाइसेंसधारी अन्य राज्यों के सुसंगत लाइसेंस के अधीन क्रय की गई मदिरा को रख सकता है।
- लाइसेंसधारी सभी क्रय-विक्रय के अभिलेखों को उनके सुसंगत आबकारी दस्तावेजों के साथ सुरक्षित रखेगा तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।
- संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की सुसंगत धारा के अधीन मदिरा में किसी भी प्रकार के क्षतिकारी या अपायकर पदार्थ को मिश्रित किया जाना दंडनीय होगा।
- लाइसेंसधारक आबकारी मैन्युअल भाग एक और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित निदेशों में निहित समस्त नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

जिला.....

कलेक्टर

दिनांक.....

प्रपत्र-एफ०एल०-11

विशेष अवसर वाले समारोह स्थल पर उपभोग हेतु विदेशी मदिरा (विकृत स्प्रिट को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के लिए समारोह बार लाइसेंस

(नियम -3 (4) देखें)

लाइसेंस संख्या—

परिक्षेत्र —

लाइसेंस धारक का नाम—

परिसर का विस्तृत विवरण (चौहद्दी सहित)—

पुलिस थाना— तहसील—

1—उत्तर

2—दक्षिण

3—पूरब

4—पश्चिम

विकृत स्प्रिट से भिन्न विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु.....को जिला.....मेंस्थित.....में.....दिनांक.....को पूर्वान्ह/अपरान्ह से.....तक की अवधि के लिए जिस हेतु रू0.....का अग्रिम भुगतान किया गया है, निम्नलिखित विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के अधीन एतद्वारा, लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है, इनमें से किसी का उल्लंघन किये जाने पर या आबकारी, ओपियम या डेन्जरस ड्रग्स विधियों के अधीन कियी अपराध के लिए दोष सिद्ध किये जाने पर लाइसेंसधारी उपर्युक्त विधियों के अधीन अधीरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त इस लाइसेंस और अग्रिम जमा को समपहृत किये जाने का भागी होगा।

विशेष शर्तें

1. मदिरा केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में परोसी जायेगी और मदिरा का उपभोग परिसर में ही किया जायेगा।
2. समारोह आयोजित किये जाने वाले दिन ही मदिरा, लाइसेंस प्राप्त परिसर में आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित समीपवर्ती विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर बिक्री की दुकान से क्रय करके लाई जाएगी।
3. विदेशी मदिरा और बीयर की फुटकर बिक्री की दुकान के विक्रेता द्वारा बिक्री की गई मदिरा/बीयर का विस्तृत विवरण लाइसेंस के इस प्रारूप के पिछले पृष्ठ पर अंकित किया जाएगा।
4. मदिरा किसी अल्प वयस्क व्यक्ति या किसी महिला द्वारा परोसी नहीं जाएगी।
5. मदिरा परोसने हेतु नियोजित व्यक्ति किसी संक्रामक या संसर्ग जनित रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए।
6. किसी विशेष अवसर/समारोह के लिए क्रय की गई मदिरा अनुमोदित अवधि के दौरान ही उपभोग कर ली जाएगी और उसे किसी अन्य समारोह में उपभोग नहीं किया जाएगा। जिसमें विफल होने पर लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की सुसंगत धाराओं के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा।
7. इस लाइसेंस के माध्यम से प्राप्त मदिरा से भिन्न मदिरा का उपभोग करना संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की सुसंगत धाराओं के अधीन दण्डनीय होगा। इसके लिए समारोह आयोजनकर्ता और समारोह स्थल के प्रबंधक/स्वामी संयुक्त तथा अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होंगे।

8. निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी के साथ किसी भी प्रकार का असहयोग, अभद्र-व्यवहार या अशिष्ट-आचरण संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की सुसंगत धाराओं के अधीन दण्डनीय होगा।
9. संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की सुसंगत धारा के अधीन मदिरा में किसी भी प्रकार के क्षतिकारी या अपायकर पदार्थ को मिश्रित किया जाना दण्डनीय होगा।
10. समारोह बार लाइसेंस, प्रातः 08:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे के मध्य छह घंटे की निरंतर अवधि के लिए जारी किया जा सकेगा, जिसे लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से अपरान्ह 1 बजे तक बढ़ाया जा सकेगा।
11. लाइसेंसधारी, समारोह में उपस्थित किसी अतिथि विशेषकर महिलाओं से अशिष्ट एवं किसी प्रकार के दुष्कर्म जैसे व्यवहार के लिए जिम्मेदार होगा।
12. लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा की आपूर्ति किसी धारिता के मानक बोतल में और बीयर की आपूर्ति किसी धारिता के मानक बोतल/केन में प्राप्त कर सकता है।
13. परोसने और उपभोग के लिए तत्परित मदिरा के प्रत्येक बोतल पर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित लेबिल लगा होना चाहिए।
14. किसी भी कार्यक्रम या समारोह के आयोजन स्थल पर शस्त्र ले जाना सख्त वर्जित होगा।
15. यह लाइसेंस, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयंती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा घोषित अन्य मदिरा बंदी दिवसों में क्रियाशील नहीं रहेगा।
16. लाइसेंसधारक निम्न प्रारूप में नियमित और सही-सही लेखा अनुरक्षित करेगा और सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के अध्यक्षता पर निरीक्षण के लिए मांग किये जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा तथा लाइसेंस समाप्त होने पर इस लाइसेंस के प्राधिकार के अधीन कृत बिक्री का सम्पूर्ण लेखा कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा।

दिनांक	विवरण	प्रारम्भिक अधिशेष	प्राप्तियां	योग	बिक्री	अन्तिम अधिशेष
	वाइन स्प्रिट बियर					

जिला.....

दिनांक.....

(पृष्ठ भाग पर सामान्य शर्तें आदि संलग्न/अंकित होंगी)

कलेक्टर

.....

The Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 2759E-2/Terah-2020-413/1987, dated December 15, 2020.

No. 2759 E-2 /Terah-2020-413/1987

Dated Lucknow, December 15, 2020

IN exercise of powers conferred under sections 24A and 40 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. 4 of 1910) read with section 27 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to granting licences for retail sale of foreign liquor for consumption in Hotels, Restaurants, Clubs, Airport Transit Lounges, Special Trains, Cruises and Micro-breweries in supersession of all the earlier Rules, notification no. 9473/XIII-2-213, dated 25.03.1926, the Uttar Pradesh Excise(Wholesale and Retail Vend of Foreign Liquor)(Thirteenth Amendment) Rules, 2002 published under notification no. 17882/X-Licence-9/New Beer-Bar Policy-2002, dated 24-11-2002 and orders issued in this behalf to the extent of their inconsistency with these rules.

THE UTTAR PRADESH EXCISE (GRANT OF BAR LICENCES) RULES, 2020

1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Excise (Grant of Bar Licences) Rules, 2020. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:- Definitions

(a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;

(b) "Bar" means the privilege granted under these rules to an establishment where food is served, for sale of Indian Made Foreign Liquor and Foreign Liquor, in loose or in sealed bottles for consumption on the licensed premises;

(c) "Civil Club" means an association of persons for social and recreational purpose or for the promotion of some common object on joint expenses without motive to gain profit and duly registered under the Indian Companies Act, 1956 or Uttar Pradesh Cooperative Societies Act, 1965 or Societies Registration Act, 1860 as amended from time to time;

(d) "Commercial Club" means a company, firm, any other organization or association of persons for social and recreational purpose for the promotion of some commercial object with motive to gain profit and duly registered under the Indian Companies Act, 1956 or U.P. Cooperative Societies Act, 1965 or Societies Registration Act, 1860 as amended from time to time;

(e) "Excise Year" means the financial year commencing from 1st April and ending with 31st March of a calendar year;

(f) "Family" means and spouse (husband or wife), dependent son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents;

(g) "Foreign liquor" means and includes beer and spirit, wines and liquors imported into India or spirits or liquors made in India, and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour as liquor imported into India and includes Malt Spirit, Whisky, Rum, Brandy, Gin, Vodka and Liqueurs. It also includes beer brewed in India or abroad, packed draught beer, porter cider, ale, wine and low alcoholic beverages (LAB);

(h) "Form" means a form appended to these rules;

(i) "Food" means any substance, whether processed, partially processed or unprocessed, which is intended for human consumption;

(j) "Government" means the Government of Uttar Pradesh;

(k) "Highway" means national highway or state highway as notified by the competent authority;

(l) "Hotel" means all tourist bungalows and hotels run by the Uttar Pradesh State Tourism Development Corporation and India Tourism Development Corporation and shall also include starred hotel or any other hotel;

(m) "Hotel Bar Licence" means a retail licence for the sale of foreign liquor granted to a hotel which makes sales to foreign and Indian tourists and visitors staying or residing in it for consumption in up to five places earmarked for serving liquor and at more than one places on deposition of an additional fee, as may be approved by the State Government;

(n) "Individual" means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years;

(o) "Licence" means licence granted under these rules;

(p) "Licencing Authority" means the District Magistrate/ Collector who may grant licences of Bar with the previous sanction of the Excise Commissioner;

(q) "Licence fee" means an annual sum fixed in consideration to grant of the licence for exclusive privilege of retail sale of foreign liquor for consumption in Hotels, Restaurants, Clubs, Airport Transit Lounge and Micro-breweries;

(r) "Proprietor" means the proprietor of a restaurant/hotel and includes any manager or occupier thereof;

(s) "Restaurant" means any place or premises to which public are admitted for the consumption of food or drink in lieu of consideration and includes cafe, shopping mall restaurant, restaurants run by U.P. State Tourism Development Corporation and ITDC as well as any other place where edibles are sold or consumed;

(t) "Security Amount" means the amount equal to one-fourth of the amount of license fee, to be deposited through F.D.R pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment within 15 days of grant of license and is liable to be forfeited in case of any default committed by the licensee in the operation of bar license;

(u) "Starred Hotel" means all category of hotels which are adjudged and approved by the Hotel and Restaurant Approval and Classification Committee (HRACC) of the Department of Tourism Government of India or any other authority authorized specially for this purpose by the Government of India;

(v) "Transport permit" means a permit issued for transport of IMFL and FL from the wholesale license such as FL-2, FL-2B, FL-2D and custom bond;

(w) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Licenses

3. (i) Licence in Form-F.L. 6 (Hotel Bar Licence) may be granted to a hotel, for the sale of foreign liquor in glasses, pegs or in sealed bottles for consumption within the licensed premises but not for removing it out of the licensed premises.

(ii) Licence in Form-F.L. 7 (Restaurant Bar Licence) may be granted to a restaurant, for the sale of foreign liquor in glasses, pegs or in sealed bottles for consumption within the licensed premises but not for removing it out of the licensed premises.

(iii) Licence in Form-F.L. 7 A (Club Bar Licence) for a civil club or a commercial club may be granted, for the purpose of supplying / serving of foreign liquor to its members including their *bona fide* guests in glasses, pegs or in sealed bottles for consumption within the licensed premises but not for removing it out of the licensed premises.

(iv) Licence in Form-F.L. 11 (Event Bar Licence) may be granted to an individual or an establishment, to sell or serve Foreign liquor in glasses or pegs for consumption within the licensed premises in the fairs, festivals or on other specified occasions of purely temporary nature, but shall not sell the liquor for removing it out of the licensed premises at such places.

(v) Licence in Form- F.L. AL-1 (Airport Bar Licence) may be granted to sell foreign liquor in glasses, pegs or in sealed bottles within the Airport intended for the consumption of the air passengers transiting the Airport to the extent of their eligibility under the Baggage Rules, 1978 made under the Customs Act, 1962.

(vi) Licence in Form- F.L. 8 may be granted, to sell foreign liquor in dining cars of special purpose trains maintained by or under the supervision and control of railway administration or cruises approved by competent authority, for the purpose of supplying / serving of foreign liquor to its *bona fide* guests in glasses, pegs or in sealed bottles for consumption within the licensed premises but not for removing it out of the licensed premises.

4. The following persons are not eligible for grant of licences:-

Persons not eligible for grant of licence

- a. persons below the age of twenty one years,
- b. persons who are undischarged insolvents or who have been convicted of offences under the provisions of the Act or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Central Act No. 61 of 1985) or convicted of non-bailable offences or habitual offenders,
- c. persons who are in arrear of any Public or Government dues,
- d. holder of any liquor bottling license or producer / manufacturer of alcohol,
- e. an advocate registered with bar council or a doctor or a company secretary or a chartered accountant,
- f. a government servant.

5. Applicant for bar licence must:-

Eligibility of Applicant of bar licence

- (a) be a citizen of India; or
- (b) be a company registered under the Companies Act, 1956; or
- (c) be a company established under Companies Act, 2013; or
- (d) be a partnership firm registered under the Partnership Act, 1932; whose partner shall be residents of India; or
- (e) be a registered sole proprietorship firm; or
- (f) be a Limited Liability Partnership (LLP) firm; or
- (g) be a society registered under Societies Registration Act, 1860; or
- (h) be a owner/proprietor/manager/occupier/ lessee of a hotel/ restaurant; or
- (i) be above 21 years of age, if an individual; or
- (j) be a registered club.

6. (1) A bar licence shall not be granted:-

Restrictions on the grant of licence

- (i) If the application has not been signed by the competent person or is incomplete;
- (ii) Unless the premises have:-
 - (a) Minimum capacity for seating at least 40 people.
 - (b) A minimum plinth area of 200 sq. metres.

(c) Sanitary equipment like wash basins and washrooms separately for ladies and gents.

(d) Facility of cooking and serving complete meals of good quality to the consumers as licensed by local authority by providing a kitchen with a minimum plinth area of 15 sq metres.

(e) Air conditioning or air cooling facility in consumption rooms and halls of licensed premises.

(f) Adequate vehicle parking arrangement (either own/valet parking/public or private parking) within 500 metres of the premises.

(g) A valid certificate of fire security issued by competent authority.

(h) Separate and segregated bar counter and storage room of liquor.

(i) Proper show case for display of different types and brands of liquor.

(j) Is not within a distance of 500 metres. of the outer edge of the National or State highway or of its service lane along the highway and the premises shall not be either visible or directly accessible from a National or State highway:

Provided that in case of areas comprised in local bodies with a population of 20,000 or less, the distance shall be 220 metres. Provided further that aforesaid restrictions shall not be applied to the licensed establishments falling within the purview of municipal areas.

k. Is not within prohibited distance contrary to the provisions of Rule 5(4) of the Uttar Pradesh Number and Location of Excise shops, Rules, 1968 (as amended).

(iii) Unless the applicant has:-

(a) A trade license from the local authority concerned and relevant license under the Food Safety and Standards Act, 2006 issued by the competent authority;

(b) A registered lease deed for the proposed licensed premises from the owner of the premises, if on lease.

NOTE:

(1) Common parking facilities and washrooms of a Mall or a Commercial complex, in which bar is situated, shall be treated as facilities of such bar.

(2) Restaurant should be in running condition before the issue of bar license under rule 11, by the licensing authority.

7. (i) The application shall be signed:-

(a) by the individual if it is made in an individual capacity;

(b) by each partner if the applicant is partnership firm, the name with parentage and correct address of each partner shall be mentioned in the application;

(c) by the managing director or manager authorised by managing director if the applicant is a company, the registered name and address of the company shall be clearly mentioned in the application along with the names of directors, managers and managing agents;

(d) by duly elected president or secretary, if the application is made for or on behalf of a club. The application shall bear the registration number and the address of the club along with the name and address of its president and secretary.

(ii) Hotel / Restaurant / Club Bar / Airport Bar Licence:

Application for license shall be made online in Form "A" and accompanied

by:-

- a. Non-refundable application fee;
- b. Two recent passport size photographs;
- c. Self-attested copies of PAN Card & Aadhar Card;
- d. Proof of parking place;
- e. Copy of an approved layout plan of the proposed premises;
- f. If the proposed premises is being utilized by person/ institution, other than the owner of the property and building, on the basis of lease and agreement, copy of such registered agreement deed/lease/contract;
- g. A copy of Trade License containing the details of hotel/restaurant etc., granted by the competent local authority to serve food;
- h. a certificate issued by competent authority for proper arrangement to fire safety in restaurant / hotel premises;
- i. copy of registration issued by Food Safety and Standard Authority of India under Food Safety and Standard Act, 2006;
- j. Character certificate issued by the superintendent of police/senior superintendent of police of the concerned district;
- k. List of five places and such additional places on payment of additional fee, earmarked for serving of liquor within the premises of a hotel;
- l. In case of applicant being for Club Bar License, the application shall be accompanied with:-
 - (i) Copy of the rules for membership of the club,
 - (ii) List of the president and other office-bearers,
 - (iii) Memorandum of association,
 - (iv) Articles of association,
 - (v) A No Objection Certificate obtained from the District Magistrate of the place, where the club is situated, shall be produced.
- m. In case of applicant being Partnership firm/ Company or LLP firm, the application shall be accompanied with:-
 - (i) Memorandum of association,
 - (ii) Articles of association,
 - (iii) Registration certificate of firm,
 - (iv) List of directors/ partner,
 - (v) Partnership deed,
 - (vi) PAN Card,
 - (vii) TAN Number,
 - (viii) Aadhar Card of partners /directors,
 - (ix) Authorisation letter to apply.
- n. Building Completion Certificate or an affidavit along with documents supporting provision under section 15a(2) of Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973.

(iii) Event Bar License:

An application shall be made online in Form "B" accompanied by a non-refundable application fee.

(iv) Applicant shall furnish an affidavit duly verified by notary public:-

(a) that he is owner or lessee of Hotel/ Restaurant/Club or he has lease deed or consent letter of owner of the premises in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time;

(b) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background and have not been convicted for any offence punishable under United Provinces Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence;

(c) that he shall produce character certificate issued by Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police of the district of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record, in case of applicant being partnership firm/company, every partner of the firm/director or manager or managing agent or a managing director of the company has a certificate issued by Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police of the district of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record;

(d) that he shall not employ salesman or representative who has criminal back ground or has infectious diseases or is below 21 years of age or a woman;

(e) that he is not in arrear of any Public or Government dues;

(f) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds for conducting the business, the details of which shall be made available to licensing authority if required;

(g) that he is neither holder of any liquor bottling license nor producer / manufacturer of Alcohol;

(h) that he is not an advocate registered with Bar Council or a doctor or a company secretary or a chartered accountant. If he is found any above after getting the license, then the licence shall be cancelled;

(i) that he is not a Government servant. In case of being found Government servant, his license shall be cancelled;

(j) that the premises of his establishment does not fall within purview of buffer zone/ prohibited zone of National/State Highway;

(k) that he has proper and sufficient space for parking of vehicles and shall not cause traffic nuisance and in case of being found, his license shall be cancelled;

(l) that he shall provide certificate issued by competent authority for proper arrangement to fire safety in restaurant /hotel premises:

Provided that the above mentioned affidavit will not be required in case of event bar license.

8. A District Level Bar Committee constituted as below, shall examine the applications for bar licenses referred to it by the District Excise Officer and after taking into consideration the parameters laid down in rule 7 shall make recommendation to the Excise Commissioner.

District Level
Bar Committee

S.No.	Name of Officer	Designation
1	District Magistrate of the concerning district	Chairman
2	Senior Superintendent of Police / Superintendent of Police of the concerning district or an Officer not below the rank of Assistant Commissioner of Police nominated by the Police Commissioner of the concerning Police Commissionerate.	Member
3	Deputy Excise Commissioner of the concerning Division	Member

(a) The Committee, as it deems necessary, may inspect the premises before recommending grant of licence;

(b) The Committee has to record reasons in writing for refusal of recommendation;

(c) Any applicant aggrieved by the decision of the Committee may file an appeal before the Divisional Commissioner:

Provided that in case of matters of Bar licenses proposed within the area of development authorities, it shall be mandatory to include the vice president of the concerned development authority as a member of the District level Bar committee.

9.(1) Hotel/Restaurant/Club Bar /Airport Bar Licence

Procedure for
the grant of
licence

(a) Any person/firm/company eligible for a licence and desiring to obtain bar license shall apply online to the District Excise Officer in prescribed Form "A" along with prescribed fee.

(b) The District Excise Officer, after making such enquiry as he may consider necessary, shall ascertain the *bona fides* of the applicant and verify the particulars furnished in the application and also examine the suitability of the premises for establishing bar and there after refer the matter to the District Level Bar committee along with his report.

(c) The recommendation made by the District Level Bar committee shall be forwarded by the District Magistrate to the Excise Commissioner for sanction of licence to the applicant.

(d) The Excise Commissioner having due regard to requirement and other factors as he deems fit and subject to the directions of the Government as may be issued from time to time in this regard, may approve the grant of the bar license.

(2) Event Bar Licence

(a) Any person or establishment desiring to obtain an Event Bar licence shall apply online to the District Excise Officer in prescribed Form "B" along with prescribed fee.

(b) The District Excise Officer, after making such enquiry as he may think necessary, to ascertain the *bona fides* of the applicant and verify the particulars furnished in the application and also examine the suitability of the premises forward the same to the District Magistrate along with his report.

(c) The District Magistrate having due regard to requirement, and other factors as he deems fit and subject to the directions of the Excise Commissioner and the State Government as may be issued from time to time in this regard, may grant the bar license in form FL-11.

(3) FL -8 License

(a) Any person/firm/company eligible for a licence and desiring to obtain FL-8 license shall apply to the Excise Commissioner along with prescribed fee.

(b) The District Excise Officer, after making such enquiry as he may think necessary, to ascertain the *bona fides* of the applicant and verify the particulars furnished in the application and also examine the suitability of the premises forward the same through the District Magistrate along with his report to the Excise Commissioner.

(c) The Excise Commissioner having due regard to requirement, and other factors as he deems fit and subject to the directions of the Government as may be issued from time to time in this regard, may approve the grant of the bar license.

Payment of
Licence Fee

10. Within seven days of receipt of information of sanction of licence, the applicant shall deposit the licence fee prescribed by the State Government from time to time. A security amount, shall be deposited through F.D.R or e-payment, within fifteen working days. However, if any license is granted after the commencement of the excise year then the license fee shall be charged for number of quarters remaining in the excise year including the quarter in which the licence is sanctioned. Quarterly licence fee shall be in proportion to annual licence fee determined for the excise year.

Issue of Bar
Licence

11. Upon approval by the Excise Commissioner, the District Excise Officer concerned, after satisfying himself that the licence fee and security has been deposited and after ensuring that the restaurant is in running condition, shall submit his report to the Collector who will issue the licence, under the signature and the seal of his office.

Cancellation of
sanction of
licence for
default of the
applicant

12.(1) Where a person in whose favour licence has been sanctioned does not deposit the licence fee and security amount as prescribed under these rules within the stipulated period of the receipt of the sanction, the Excise Commissioner upon receipt of recommendation of licensing authority may cancel the sanction issued in his favour for grant of licence and forfeit the application fee and processing fee deposited by him.

(2) Where it is brought to the notice of the Excise Commissioner:-

(a) that the applicant suffers from any of the disqualifications mentioned under the Rules;

(b) that the sanction for grant of licence has been fraudulently obtained by the applicant, hiding the material facts, the Excise Commissioner shall after giving a reasonable opportunity of being heard to the applicant, cancel the sanction issued for grant of licence and forfeit the fees and security amount paid by him;

(c) that the conditions of the license and the directions issued by the Excise Commissioner from time to time have been violated.

Powers to reject
application

13. Notwithstanding anything contained in these rules, the Excise Commissioner shall be competent to reject any application for licence without assigning any reason whatsoever.

Appeals and
Revisions

14. (1) Any decision taken by the District Level Bar Committee shall be appealable to the Divisional Commissioner:

Provided that no appeal shall be entertained under this rule unless it is preferred by the aggrieved applicant within 30 days from the date of communication of such decision.

(2) Any applicant aggrieved by an order of the Excise Commissioner passed under Rule 9 (i) (d) & (iii) (c) or an order by the Divisional Commissioner under Rule 14(i) may make an application to the State Government for revision of such order.

(3) The State Government may either *suo motu* or on an application by an aggrieved applicant call for and examine the records relating to any order passed in any proceedings under this rule, for the purposes of satisfying itself as to the correctness, legality or propriety of any such orders or as to the regularity of such proceedings; and, if in any case it appears to the State Government that such order or proceedings should be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass orders accordingly:

Provided that no order adversely affecting any party shall be passed under this rule unless he has been given a reasonable opportunity of making his representation:

Provided further that no application under this rule shall be entertained unless it is preferred within thirty days from the date of the order of the Excise Commissioner.

15. (1) A licence granted under the extant Rules shall expire after the 31st day of March every year.

Renewal of license

(2) A person possessing a licence under these rules and seeking renewal of the same shall apply two months before the expiry of financial year in accordance with the existing rules and such application shall be accompanied by the licence fee payable under these rules, as may be fixed by the Excise Commissioner Uttar Pradesh with the consultation of the State Government from time to time.

(3) The licensee shall be eligible for renewal of his licence, if there are no cases pending against the licensee for violation/ contravention of licence conditions or rules.

16. (1) Every licensee shall maintain a correct account of all his daily transactions of liquor in a register in form F.L.25. The licensee shall ensure use of registers duly authenticated by the District Excise Officer. The register is divided into four parts:-

Accounts to be maintained by all licensees

Part I-for inspecting officers to record the result of their inspections.

Part II-for recording of all stock receipts by the licensee Entries should invariably be made on the date on which supplies are received. A separate line should be given to each consignment and if the consignment consists of liquors of various kinds a separate line should be given to each kind of liquor also.

Part III-for recording total sales during the day each item of sales should be shown separately.

Part-IV-for recording the total receipt of each kind of liquor during the day and the total sales the figures of receipt will be obtained from part-II and those for sales will be obtained by totalling the entries for the day as shown in part-III.

(2) Account register shall be uploaded on online and produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material, documents and F.L.-36 passes as required by the inspecting authority.

(3) He shall also maintain such other returns as may be prescribed by the Excise Commissioner.

(4) Person holding an Event Bar license shall maintain a correct account of all his daily transactions of liquor in the form prescribed in the license F.L.11.

17. If a bar licence is held by an individual or is jointly held by two or more partners, in the event of death of licensee or one of partners, on an application made to the Excise Commissioner, license may be mutated in the name of the survivors along with the legal heir(s) of deceased, subject to fulfilment of eligibility conditions. Provided they are not found otherwise ineligible after considering the application made for the mutation of license. No distinction will be made between the legal liabilities of the partners who will be jointly and severally responsible.

On death of a licensee(s)

Sale-purchase of
hotel and
restaurant

18. In case, an application is made to the Excise Commissioner in the respect of sale-purchase of hotel and restaurant or in the change of its management and ownership, license may be mutated in the name of new owner/manager subject to fulfilment of eligibility conditions. Provided they are not found otherwise ineligible after considering the application made for the mutation of license.

Mere change in the name by keeping the entity intact does not amount to transfer of licence. In such cases the Excise Commissioner may allow change in the trade name subject to payment of fee of ten thousand rupees.

Licensee not to
declare any
person to be or
not to be his
partner

19. No licensee shall, except with the prior permission of the Excise Commissioner get any other person, who is not ineligible under Rules, be included as partner to his business, or get an existing partner excluded so long as the partnership nature of the business does not change:

Provided that the Excise Commissioner may, after such enquiry as he may deem fit, permit the licensee at his request, to get any person(s) included as partner(s) or excluded any existing partner(s), so long as the partnership nature of the business does not change, on payment of a fee of 10% of the annual license fee:

Provided further that where there is dissolution of partnership it shall be notified to the Excise Commissioner.

Shifting of bar
licences from
one premises to
another premises

20. Shifting of the licensed premises may be permitted once during the license period from one location to another by the Excise Commissioner, subject to recommendation of district level bar committee that the new premises conforms to the conditions laid down under the Rules on payment of a fee of 10% of the annual license fee.

Geo-tagging of
bar

21. Every hotel/restaurant/club shall be geo-tagged in order to ensure location of bar.

Rule to have
overriding
effect

22. In case there is any conflict between provisions of The Uttar Pradesh Excise (Grant of Bar Licence) Rules, 2020 and rules relating to the Uttar Pradesh Licensing under the Surcharge Fee System Rules, 1968 published *vide* notification No. 36/II-619-B, dated April 2, 1968 and Retail Vend of Foreign Liquor other than Denatured Spirit framed under the U.P. Excise Act, 1910 (as amended time to time) published *vide* notification no. 9473/XIII-2-213, dated March 25, 1926 as well as Uttar Pradesh Club (Possession of Foreign Liquor Permit) Rules, 1980 published *vide* notification no. 6144-E/XIII-637-77 dated November 10, 1980 the Uttar Pradesh Excise (Grant of Bar Licence) Rules, 2020 shall prevail.

Status of Bar
licences issued
before
commencement
of these rules

23. (1) Any Bar licence issued for retail sale of foreign and Indian made foreign liquor to any hotel or restaurant or club for the financial year 2019-20 under the united provinces excise Act, 1910 or the rules framed there under or under any corresponding law before the commencement of these rules, shall remain valid and continue till publication of Uttar Pradesh Excise (Grant of Bar Licenses) Rules, 2020 in the *Gazette*:

Provided further that all the bar licences existing before the commencement of these Rules shall be entitled for renewal subject to fulfilment of conditions for renewal under the Rules.

(2) All beer bar licences granted under earlier rules may be deemed to operate in the following manner:-

(a) Hotel beer bar licence F.L.-7B shall stand mutated into form F.L.-6 bar licence.

(b) Restaurant beer bar licence F.L.-7B shall stand mutated into form F.L.-7 restaurant bar licence.

24. The Licensee shall transact business from 10.00 a.m. to 12.00 p.m:

Hours of Business

Provided that the Excise Commissioner with the approval of the Government may bring about any change during the course of licence period in the hours of business and the licensee shall observe such changed timings accordingly.

Event Bar License may be issued for a continuous period of six hours between 8:00 a.m. and 12:00 p.m, which may be extended upto 1 p.m with the previous approval of the licensing authority.

Serving time of liquor for F.L.-8 licenses shall be granted for duration of journey in the state subject to condition imposed by the district administration:

Provided further that the serving and consuming time of liquor for a category of licences situated within a geographical location may be extended on the payment of additional annual licence fee as may be fixed by the Excise Commissioner with previous approval of the State Government.

25. The licensed premises shall be closed and no business transacted on the following days declared as dry days:-

Dry Days

- (a) 26th January - Republic day
- (b) 14th April - Ambedkar Jayanti
- (c) 15th August - Independence day
- (d) 2nd October - Gandhi Jayanti and
- (e) up to 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority

Licensing Authority may also order for closure of bar on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws:

Provided that the licensee shall not be entitled to any compensation whatsoever for the closure of the licensed premises.

26. Any balance stock of foreign liquor found outstanding and unsold at the expiry of the financial year, shall be declared by licensee to the licensing authority on next day of expiry of financial year. The disposal of such stock shall be made as per directions of the Excise Commissioner in this regard.

Disposal of unsold/remainder stock at the expiry of financial year

27. In case the licence is cancelled or surrendered during the currency of the period of licence or is not renewed on its expiry, the licensee shall forthwith intimate the stock of foreign liquor held in balance at the licensed premises to the Licensing Authority and dispose the balance stock only under directions given by the Excise Commissioner.

Disposal of stocks on cancellation or non-renewal or surrender of licence

28. Special fee shall be leviable on the consumption of every bottle of foreign liquor and beer at the rate as may be prescribed by the State Government from time to time. License holder shall deposit entire special fee in advance. FL-36 passes issued by wholesale licensee of FL-2,FL-2B&FL-2D shall bear the description of amount of special fee paid.

Imposition of special fee

29. No foreign liquor shall be sold or given to the following persons namely:-

Foreign Liquor shall not be given or sold to certain persons

- (a) Lunatics;
- (b) Persons known or believed to be in a state of drunkenness;
- (c) Persons about whom it is known or suspected that they are likely to participate in the commission of sedition, insurrection, breach of peace or any other similar offence threatening public peace and tranquillity;
- (d) Persons below (21) years of age.

Sale of only duty
paid foreign
liquor

30. (1) The licensee shall sell only duty paid foreign liquor, as the case may be, to the customers in sealed bottles or pegs for consumption within the licensed premises only but not for removing it out of the licensed premises.

(2) The licensee shall purchase foreign liquor from license holder of FL-2, FL-2B, FL-2D or from any licensee authorised by the Excise Commissioner. In case of non-availability of any brand from wholesale license of FL-2D, the licensee may procure the foreign liquor from custom bonds with prior approval of licensing authority.

(3) The licensee may sell drought beer manufactured in a Micro brewery for which he possesses valid licence in Form MB-1.

(4) The licensee shall not stock or sell in the licensed premises foreign liquor except those stocks purchased from the permitted wholesalers / custom bonds, of any kind which he is not authorized to buy, stock or sell under the provisions of Act or Rules, Regulations or Orders made there under.

(5) The licensee shall not stock foreign liquor in any place other than the licensed premises. The licensee shall be held responsible for any foreign liquor unauthorizedly kept outside or nearby the licensed premises.

(6) The licensee shall transport foreign liquor to the license premises through transport passes issued under relevant rules.

(7) Every bottle of foreign liquor in a bar shall carry labels prescribed by Excise Commissioner on the cap of the bottle in addition to the manufacturer's label and security code.

Foreign liquor
not to be
adulterated

31. (1) The foreign liquor offered for sale or stored in the licensed premises shall not be of substandard, deteriorated, spurious or adulterated and the licensee shall not tamper with the Indian Made Foreign Liquor and Foreign Liquor in any manner so as to alter their quality, strength, nature or quantity.

(2) If in an inspection of any officer competent for the inspection, on finding any foreign liquor unfit for use, substandard, adulterated or spurious or in respect of which it is believed that some substance has been admixed so as to make it unfit for consumption by any process or manner, inspecting authority may stop it from being sold and seize the same forthwith and take necessary further action as per the provisions of the Act.

Certain acts
prohibited in the
licensed
premises

32. Notwithstanding any permit/license granted by any authority, gambling, dancing, any other acts of disorderliness or obscenity within the licensed premises shall be strictly prohibited.

Surrender of
license

33. A licensee may surrender his license after giving at least one month's notice in writing to the licensing authority and on receipt of such notice the licensing authority will take steps for recovering all outstanding excise dues from his security deposit and refund the balance amount after obtaining orders of the Excise Commissioner.

Standard
measures to be
kept

34. The licensee shall use only standard measures, as may be prescribed by the Excise Commissioner from time to time. The measures should be got duly stamped by the Department of Weights and Measures.

Harbouring of
certain persons
prohibited

35. Persons, who are known or believed to have been convicted of any non-bailable offences, who are prostitutes and habitual offenders, shall not be employed nor shall they be allowed to assemble or remain in the licensed premises, and if such persons visit licensed premises the matter shall be forthwith reported to the nearest Police Station by the licensee.

36. The licensing authority may compound the offences committed and punishable under the Act mentioned in column-2 with the amounts specified in column 3, 4 and 5 of the Schedule below.

Matter of compoundable breaches pertaining to bar licences such as set out below shall be imposed with minimum compounding fee

S. No	Types of violation	For first offence (in Rs.)	For second offence (in Rs.)	For third offence (in Rs.)
1	2	3	4	5
1	Bar being found opened before or after the stipulated time.	2500	3000	5000
2	Unauthorized salesman found to be serving liquor.	5000	7000	10000
3	Sale and account register not produced when asked for.	10000	15000	20000
4	Sale and account register found incomplete.	10000	15000	20000
5	Tempering with bottles and quarters or their labels or bar code, pilfer proof cap or seals.	10000	15000	20000
6	Bar being found having recourse to inducement to the customer with a view to increasing sales such as dancing or gambling.	5000	7000	10000
7	Storage of duty paid stock in an unauthorized premises.	20000	25000	30000
8	Duty paid stock being found in excess of account.	25000	30000	50000
9	Bar being found making sale of liquor during days of prohibition and closure.	30000	40000	50000
10	Any alteration in the Bar premises without permission.	20000	25000	30000
11	Non displaying of essential information according to rule or displaying faulty information on the signboard installed outside and inside the Bar premises.	5000	10000	20000
12	On being found no proper arrangement of cleanliness in the Bar.	2000	5000	10000
13	If liquor issued to any other licensee is found on the premises of another bar licence.	25000	50000	Proceeding for cancellation of licence
14	Found having recourse to inducement to customer with a view to increasing sales such as drinking competitions	25000	50000	Proceeding for cancellation of licence
15	Any other irregularity, which is not mentioned under serial 01 to 14.	2000	5000	10000

37. (1) Licensing Authority may suspend or cancel the licence:-

Suspension or cancellation of the license

(a) If any bottle is found in licensed premises on which consideration fee has not been paid and which does not carry security code duly approved by the Excise Department.

(b) If any other kind of liquor or intoxicating drug (for which licence is not granted) is found in the licensed premises or if any other business is found to be carried on.

(c) If any liquor or intoxicating drug is found in the possession of the licensee against the provisions of the Act or Rules.

(d) If the Affidavit submitted by the licensee at the time of application is found incorrect and assertions made therein are found to be false.

(e) If the licensee is convicted of any offence punishable under the Act or of any cognizable and non-bailable offence, or any offence punishable under Narcotics Drugs and psychotropic substance Act, 1985.

(f) If any bottle / container is found in the licensed premises on which maximum retail price is not printed: or

(g) if it is found that the licence has been obtained in a false name and the licensee is holding the licence on behalf of some other person.

(h) If any adulteration or dilution of liquor or mixing of low category liquor with high category liquor is found in the licensed premises.

(2) The Licensing Authority shall immediately suspend the license and also serve a show cause notice for cancellation of licence and for forfeiture of security deposit. The licensee shall submit his explanation within 7 days of the receipt of notice. Thereafter, the licensing authority shall pass suitable order after giving due opportunity of hearing to the licensee, if he so desires.

(3) In case the license is cancelled for any violation of the rules and the conditions of license, the license fee and security deposited by him shall stand forfeited in favour of the Government and the licensee shall not be entitled to claim any compensation or refund for suspension or cancellation of license under this rule. Such licensee may also be blacklisted and debarred from holding any other excise licence.

38. If there is any doubt or dispute regarding the application or interpretation of any of these rules, the decision of the Excise Commissioner thereon shall be final.

Removal of
difficulties

By order,
SANJAY R. BHOOSREDDY,
Apar Mukhya Sachiv

FORM-A

APPLICATION FOR GRANT OF BAR LICENCE

[See Rule-7(ii)]

Note- Name / names, age and the address / addresses of the person or persons applying (if the applicant is a firm, the name and address of every partner of the firm and if a company, the registered name and address thereof, the names of the Directors, Managers and Managing Agents and if there is a Managing Director, the name of such Director) should be mentioned.

Name of Hotel Bar/Restaurant Bar/Club Bar applied for
 Category of Applicant: Individual /Proprietorship Firm/ Partnership Firm/ Company / LLP Firm/ Society / Club

Passport size
 photograph of applicant

Passport size
 photograph of
 co-applicant

To,
 The District Collector,
 District
 Through the District Excise Officer
 Sir,

I/Weson of residing at
Districthereby offer
 myself/ourselves as a candidate/candidates in partnership or a registered company or a register society or a
 registered/ unregistered firm or a proprietor/lessee of a hotel/restaurant/club for the licence of the hotel
 bar/ restaurant bar/club bar noted above.

2. I/we have deposited a sum of Rs.....as application fee for the above licence in
 treasuryvide challan No. dated
enclosed herewith.
3. That I/we shall jointly and severally abide by all the rules and regulation of the Excise Department
 and the conditions of the licence applied for and that I/we shall be jointly and severally
 responsible for the payment of all Government dues, in case my/our bar licence is granted.
4. I/We declare that I/We do not suffer from any of the disqualifications prescribed by the rules
 which may render me/us ineligible to hold the licence applied for.
5. That I/We declare that to the best of my/our knowledge and belief the information furnished here
 in and by way of an affidavit duly verified by public notary as enclosed herewith is true and
 complete.

Enclosure -A true copy of affidavit duly verified by notary public.

Place
 Date

Signature(s) of the applicant or
 applicants.

Affidavit of Applicant**[See Rule-7 (iv)]**

Applicant is submitting before licensing authority/District Collector an affidavit duly verified by public notary as proof of the following namely:-

- a. that he is owner or lessee of Hotel/ Restaurant/Club or he has lease deed or consent letter of owner of the premises in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time.
- b. that he and his family members possess good moral character and have no criminal background and have not been convicted for any offence punishable under United Provinces Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence.
- c. that he shall produce character certificate issued by Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police of the district of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record, in case of applicant being partnership firm/company, every partner of the firm/director or manager or managing agent or a managing director of the company has a certificate issued by Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police of the district of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record.
- d. that he shall not employ salesman or representative who has criminal background or has infectious diseases or is below 21 years of age or a woman.
- e. that he is not in arrear of any Public or Government dues.
- f. that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds for conducting the business, the details of which shall be made available to licensing authority if required.
- g. that he is neither holder of any liquor bottling license nor producer / manufacturer of Alcohol.
- h. that he is not an advocate registered with bar council or a doctor or a company secretary or a chartered accountant. if he is found any above after getting the license, then the licence shall be cancelled.
- i. that he is not a Government servant. In case of being found Government servant, his license shall be cancelled.
- j. that the premises of his establishment does not fall within purview of buffer zone/ prohibited zone of National/State Highway.
- k. that he has proper and sufficient space for parking of vehicles and shall not cause traffic nuisance and in case of being found, his license shall be cancelled.
- l. that he shall provide certificate issued by competent authority for proper arrangement to fire safety in restaurant / hotel premises.

Date.....

Full Name & Signature of applicant

Full Address of applicant

Attested by.....

Designation of the attesting officer.....

FORM-B-

APPLICATION FOR GRANT OF EVENT BAR LICENCE

[See Rule-7 (iii)]

1. Name & Address of the applicant (organiser of function/event)including mobile number (person/club/institution/hotel/restaurant/banquet hall/resort/farm house/marriage home etc.)

2. Name & address of organiser of function/manager of event (if any) including mobile number (person/club/institution/hotel/restaurant/banquet hall/resort/farm house/marriage home etc.)

3. Name & address of venue of organisation including mobile number (person/club/institution/hotel/restaurant/banquet hall/resort/farm house/marriage home etc.)

4. Purpose of organisation -----Commercial/Non commercial
5. Date of organisationtime froma.m./p.m to a.m./p.m.
6. Approximate number of persons participating in the event-----
7. Approximate quantity of foreign liquor/beer etc. in bottles required for the sale of consumption of guests. -----

Sl.No.	Category	Name of brand	Quantity	Price

8. Name of desired shops or any other shops falling within the purview of city/sector of applicant's venue of function from where liquor shall be purchased. -----

9. Estimation of aforesaid demand made by authorised seller of retail shop of foreign liquor/beer, name and address of sale men including mobile number and signature of authorised seller with date

10. Description of deposit challan-deposit amount in rupees..... treasury challan no..... datename of bank/treasury.....

Note-

1. In case of insufficient space for description under serial no. 7, separate description may be enclosed.
2. Reckoning of day shall be made till midnight in the duration of event. In case function continues thereafter, additional licence fee shall be payable for the next day.
3. Seller of retail shop shall return application to the applicant immediately after accomplishing the required procedure related to serial no.9.

Signature of applicant

Name of applicant

Full address of applicant.....

Telephone/Mobile number of applicant.....

Form- F.L.6

Licence for retail vend of foreign liquor for consumption in the premises of residential hotels/starred hotels/hotels and tourist bungalow run by U.P.T.D.C.& I.T.D.C.

[See Rule-3(1)]

Photo of applicant	Photo of co-applicant	Photo of hotel bar
-----------------------	--------------------------	--------------------

License No..... Latitude/longitude of hotel bar.....

Name of Locality

Name and address of the licence holder

Details of approved Manager/Salesman/Barman.

Application fee Rs..... (in figures)(in words)

License fee Rs..... (in figures)(in words)

Security Amount Rs..... (in figures)(in words)

Detailed description of premises (with boundaries)

Police StationTehsil

(1) North

(2) South

(3) East

(4) West

Licence for retail vend of foreign liquor, other than denatured spirit is hereby granted to atin the district offrom to for which Rs..... has been paid in advance and security deposited subject to the following special and general conditions, the infraction of any of which, or conviction for any offence under the Excise Act, 1910 or Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act, 1985, shall render the licence-holder liable to the forfeiture of his licence fee, security amount and advance deposit of initial fee in addition to any penalties imposed under the above laws.

SPECIAL CONDITIONS

1. Sale shall be made only at the licensed premises and the liquor shall be consumed on the premises.
2. Licence-holder shall maintain regular and accurate accounts in the prescribed (form F.L.25) and shall produce the same along with transport passes for inspection on the demand of any officer authorised by Government and shall furnish to the Collector such returns of sales as may be required. Licensee shall also upload online information in prescribed form on the website of excise department.
3. Sales shall be made from 10:00 am to 12 :00 night or such other extended time on the payment of additional fee as may be fixed by the Excise Commissioner every day.
4. At the entrance to the licensed premises a signboard shall be affixed on which name of the licence-holder and designation " Licensed F.L. 6 Hotel Bar" shall be painted.
5. The licence-holder shall display the following warning at a prominent place on the above premises.
"Drinking is injurious to health".
6. Liquor may be sold only in sealed bottles or pegs (one peg equal to 60 ml. and half peg equal to 30 ml.) except beer. Beer obtained in kegs of 20 litre ,30 litre or 50 litre may be sold in pegs.

7. Every bottle of liquor meant for serving and consumption must carry labels prescribed by Excise Commissioner.
8. Licence holder shall be entitled to get supplies of liquor in standard bottle from wholesale licensee holding licence in form F.L.-2, F.L.2 B & F.L.2D.
9. Any addition of deleterious or noxious substance in the liquor shall be punishable under Relevant Section of U.P.Excise Act.1910.
10. It shall be strictly prohibited to carry arms in the licensed premises.
11. Signboard shall essentially display the following information *inter alia* other things;
 - (i) To carry the arms inside the premises is strictly prohibited,
 - (ii) Don't drink and drive. Drunken driving is fatal to the life.
12. The licensed premises shall remain open for serving and consumption of liquor on all days except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and up to 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order for closure of bar on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of bar on above grounds.
13. The licence -holder shall be bound to observe all rules incorporated from time to time in the Excise Manual Volume I and directions passed by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh from time to time.

District.....

Collector

Dated

.....

Form-F.L.-7

Licence for retail sale of Foreign Liquor for consumption on the premises of restaurants
[See Rule-3(ii)]

photo of applicant	photo of co- applicant	photo of restaurant bar
-----------------------	---------------------------	-------------------------

License No..... Latitude/longitude of restaurant bar.....
 Name of Locality
 Name and address of the licence holder

Details of approved Manager/Salesman/Barman.

Application fee Rs..... (in figures)(in words)

License fee Rs..... (in figures)(in words)

Security Amount Rs..... (in figures)(in words)

Detailed description of premises (with boundaries)

Police StationTehsil

- (1) North
 (2) South
 (3) East
 (4) West

Licence for the retail vend of foreign liquor, other than denatured spirit, is hereby granted to atin the district offrom to for which Rs..... has been paid in advance and security deposited, subject of the following special and general conditions, the infraction of any of which, or conviction for any offence under the Excise, Opium or Dangerous Drugs Laws, shall render the licensee-holder liable to the forfeiture of his licensee and advance deposit in addition to any penalties imposed under the above laws.

SPECIAL CONDITIONS

1. Sale shall be made only at the licensed premises and the liquor shall be consumed on premises.
2. Licence-holder shall maintain regular and accurate accounts in the prescribed (form F.L.25) and shall produce the same along with transport passes for inspection on the demand of any officer authorised by Government and shall furnish to the Collector such returns of sales as may be required. Licensee shall also upload online information in prescribed form on the website of excise department.
3. Sales shall be made from 10:00 am to 12 :00 night or such other extended time on the payment of additional fee as may be fixed by the Excise Commissioner every day.
4. At the entrance to the licensed premises a signboard shall be affixed on which name of the licence-holder and designation Licensed FL-7 Restaurant Bar shall be painted
5. The licence-holder shall display the following warning at a prominent place on the above premises.

"Drinking is injurious to health".
6. Liquor may be sold in sealed bottle or pegs (one peg equal to 60 ml. and half peg equal to 30ml) except beer. Beer obtained in kegs of 20 litre, 30 litre or 50 litre may be sold in pegs.

7. Every bottle of liquor meant for serving and consumption must carry labels prescribed by Excise Commissioner.
8. Licence holder shall be entitled to get supplies of liquor in standard bottle from wholesale licensee holding licence in form F.L.-2, F.L.2 B & F.L.2D.
9. Any addition of deleterious or noxious substance in the liquor shall be punishable under Relevant Section of U.P.Excise Act, 1910.
10. It shall be strictly prohibited to carry arms in the licensed premises.
11. Signboard shall essentially display the following information *inter alia* other things;
 - (I) To carry the arms inside the premises is strictly prohibited,
 - (ii) Don't drink and drive. Drunken driving is fatal to the life.
12. The licensed premises shall remain open for serving and consumption of liquor on all days except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and up to 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order for closure of bar on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of bar on above grounds.
13. The licence-holder shall be bound to observe all rules incorporated from time to time in the Excise Manual Volume I and directions passed by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh from time to time.

District.....

Dated

Collector

.....

Form-F.L.-7A

Licence for retail sale of Foreign Liquor for consumption on the premises of Club
[See Rule-3(iii)]

photo of applicant	photo of co- applicant	photo of club bar
-----------------------	---------------------------	-------------------

License No..... Latitude/longitude of club bar.....

Name of Locality

Name of the club

Name of the licence holder

Details of approved manager/salesman/barman.....

Application fee Rs.....(in figures)(in words)

License fee Rs.....(in figures)(in words)

Security Amount Rs.....(in figures)(in words)

Detailed description of premises (with boundaries)

Police Station Tehsil

- (1) North
 (2) South
 (3) East
 (4) West

Licence for sale of foreign liquor (other than rectified spirit and denatured spirit) is hereby granted to for the premises detailed above, in the district offor the period from to on advance payment of the fees mentioned here above and security of Rs.paid subject to the following special conditions which are in addition to the general conditions binding on all permit holders and licences under the Excise Act, 1910 and the rules made there under, the infraction of any of which or conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall render the license liable to cancellation in addition to the forfeiture of the aforesaid license fee, security money and advance deposited initial fee.

SPECIAL CONDITIONS

1. Foreign liquor shall be supplied/served by an approved person to the members of the club, including their *bona fide* guests, within the premises detailed above and same shall be consumed "ON" such premises only.
2. The licence holder shall maintain regular accounts in the prescribed register in Form F.L.25 (or any other form that may be prescribed by the Excise Commissioner from time to time). Licensee shall upload online information on the website of the excise department.
3. The licence holder or his approved salesman shall produce the transport passes and form F.L.-25 Register immediately on demand by officers authorised to inspect the premises detailed above. The form F.L.25 register shall always be kept on the above premises.
4. Sales shall be made from 10:00 am to 12 :00 night or such other extended time on the payment of additional fee as may be fixed by the Excise Commissioner every day.
5. The licence-holder shall display the following warning at a prominent place on the above premises.

"Drinking is injurious to health".

6. Liquor may be sold in sealed bottle or pegs (one peg equal to 60 ml. and half peg equal to 30 ml.) except beer . Beer obtained in kegs of 20 litre ,30 litre or 50 litre may be sold in pegs.
7. The licence holder shall not allow the foreign liquor supplied/served by him to be consumed "OFF" the premises detailed above.
8. Every bottle of liquor meant for serving and consumption must carry labels prescribed by Excise Commissioner.
9. The licence-holder shall prevent drunkenness on the premises detailed above.
10. The licence-holder shall immediately intimate to the Collector, about any change in the constitution of the Club, or in the name of President or the Secretary.
11. Licence holder shall be entitled to get supplies of liquor in standard bottle from wholesale licensee holding licence in form F.L.-2, F.L.2 B & F.L.2D.
12. Any addition of deleterious or noxious substance in the liquor shall be punishable under Relevant Section of U.P. Excise Act, 1910.
13. It shall be strictly prohibited to carry arms in the licensed premises.
14. Signboard shall essentially display the following information *inter alia* other things;
 - (I) To carry the arms inside the premises is strictly prohibited,
 - (ii) Don't drink and drive. Drunken driving is fatal to the life.
15. The licensed premises shall remain open for serving and consumption of liquor on all days except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and up to 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order for closure of bar on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of bar on above grounds.
16. The licence-holder shall be bound to observe all rules incorporated from time to time in the Excise Manual Volume I and directions passed by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh from time to time.

District.....

Collector

Dated

.....

FORM F.L.:AL-1

(Licence to sell foreign liquor for consumption within the premises of the Airport.)

[See Rule-3 (v)]

Photo of applicant

Photo of Airport
Bar

License No.....
 Name of the Airport

Name of licence-holder

Details of approved manager/salesman/bar man.....

Application fee Rs.....(in figures)(in words)

License fee Rs.....(in figures)(in words)

Security Amount Rs.....(in figures)(in words)

Detailed description of premises (with boundaries)
 Police StationDistrict

(1) North
 (2) South
 (3) East
 (4) West

Licence for the retail vend of foreign liquor, other than denatured spirit, is hereby granted tofor premises detailed above in the district of
for the period from to on advance
 payment of the fees mentioned here above and security of Rs.paid subject of the
 following special and general conditions, the infraction of any of which or conviction for any offence
 under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall render the
 license liable to cancellation in addition to the forfeiture of the aforesaid license fee, security money and
 advance deposited initial fee.

SPECIAL CONDITIONS

1. Sale of liquor shall be made only to the bona fide tourists for consumption on the licensed premises.
2. The licence-holder shall maintain regular and accurate accounts in the prescribed register (Form F.L.25), and shall produce the same for inspection on the requisition of any officer authorised by State Government and shall furnish to the Collector such returns of sales as may be required. Licensee shall also upload online information in prescribed form on the website of excise department.
3. Sales shall be made from 10:00 am to 12 :00 night or such other extended time on the payment of additional fee as may be fixed by the Excise Commissioner every day.
4. At the entrance to the licensed premises a signboards shall be affixed on which the name of the licence-holder and designation " Licensed FL:AL-1 Airport Transit Lounge Bar" shall be painted.
5. Liquor may be sold in sealed bottles or pegs (one peg equal to 60 ml. and half peg equal to 30ml.) except beer. Beer obtained in kegs of 20 litre, 30 litre or 50 litre may be sold in pegs.
6. Every sealed bottle of liquor meant for serving and consumption must carry labels as prescribed by the Excise Commissioner.

7. Licence holder shall be entitled to get supplies of liquor in standard bottle from wholesale licensee holding licence in form F.L.-2, F.L.2 B & F.L.2D.
8. Any addition of deleterious or noxious substance in the liquor shall be punishable under Relevant Section of U.P. Excise Act, 1910.
9. It shall be strictly prohibited to carry arms in the licensed premises.
10. Signboard shall essentially display the following information *inter alia* other things;
 - (i) To carry the arms inside the premises is strictly prohibited,
 - (ii) Don't drink and drive. Drunken driving is fatal to the life.
11. The licensed premises shall remain open for serving and consumption of liquor on all days except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and up to 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order for closure of bar on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of bar on above grounds.
12. The licence-holder shall be bound to observe all rules incorporated from time to time in the Excise Manual Volume I and directions passed by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh from time to time.

District.....
Dated

Collector

.....

FORM F.L-8

(Licence to sell and serve foreign liquor for the consumption of bona fide tourists in the dining room/space of luxury trains/ cruise boats.)

[See Rule-3 (vi)]

The license is hereby granted to the contracting firm of luxury train number...../authorised travel agent of registered cruise boat number..... in order to allow selling and serving foreign liquor to its bona fide tourists for consumption only in the dining/space of luxury train/cruise boat passing through territory of Uttar Pradesh for period fromto.....on advance payment of license fee Rs..... subject to the following conditions, the infraction of any of which shall render the license liable to cancellation in addition to forfeiture of advance deposit of license fee made in behalf of this license:

CONDITIONS

1. Liquor shall be sold only to the bona fide tourists for the consumption at the licensed premises. Tourist shall not be allowed to take liquor outside the license premises.
2. The licence-holder shall maintain the regular and accurate accounts of receipt and sale of liquor and shall produce the same for inspection on the requisition of competent authority.
3. The licensed premises may remain open for serving and consumption of liquor for the duration of the journey within the state subject to conditions imposed by district administration on all days except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and up to 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order for closure of bar on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of bar on above grounds.
4. Liquor may be sold in sealed bottles or pegs (one peg equal to 60 ml. and half peg equal to 30 ml.) except beer. Beer obtained in kegs of 20 litre, 30 litre or 50 litre may be sold in pegs.
5. Licence holder shall be entitled to get supplies of liquor in standard bottle from wholesale licensee holding licence in form F.L.-2, F.L.2 B & F.L.2D in U.P.
6. The licensee may possess the liquor purchased under the relevant licenses of other states.
7. The licensee shall safely keep the record of all the purchases and sale along with their relevant excise documents and shall produce on demand of competent authority.
8. Any addition of deleterious or noxious substance in the liquor shall be punishable under Relevant Section of U.P. Excise Act, 1910.
9. The licence -holder shall be bound to observe all rules incorporated from time to time in the Excise Manual Volume I and directions passed by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh from time to time.

District.....

Dated

Collector

.....

FORM F.L.-11**Event Bar licence for retail vend of foreign liquor (other than denatured spirit) for consumption at the venue of special occasional events.****[See Rule-3 (iv)]**

License No.....

Locality

Name of licence-holder

Detailed description of premises (with boundaries)

Police StationTehsil

(1) North

(2) South

(3) East

(4) West

Licence for the retail vend of foreign liquor, other than denatured spirit, is hereby granted to atin the district offrom a.m./p.m. on for which Rs. has been paid in advance, subject of the following special and general conditions, the infraction of any of which, or conviction for any offence under the Excise, Opium or Dangerous Drugs Laws, shall render the licensee liable to the forfeiture of this licence and advance deposit in addition to any penalties imposed under the above laws.

SPECIAL CONDITIONS

- (1) Liquor shall be served only at the licensed premises and the liquor shall be consumed on the premises.
- (2) Liquor shall be brought to the licensed premises on the very day of organising function after purchasing from nearby retail shop of foreign liquor/ beer as adverted by the applicant in his application.
- (3) Details of liquor sold by the salesman of retails shop of foreign liquor and beer shall be printed on the back page of this form of licence.
- (4) Liquor shall not be served by any minor or any woman.
- (5) Person employed for serving liquor should not suffer from any infectious or contagious disease.
- (6) The liquor purchased for the specific organisation/event shall be consumed during the sanctioned period and shall not be consumed on another function. Failing which, licensee shall be liable to punishment under Relevant Section of U.P. Excise Act, 1910.
- (7) Consumption of liquor other than obtained through this license shall be punishable under the Relevant Section of U.P. Excise Act, 1910. For this organiser of function and manager/owner of venue of organisation shall be jointly and severally responsible.
- (8) Any sort of non-cooperation, incivility or indecorous treatment with the inspecting authority shall be punishable under Relevant Section of U.P. Excise Act, 1910.
- (9) Any addition of deleterious or noxious substance in the liquor shall be punishable under Relevant Section of U.P. Excise Act, 1910.
- (10) Event Bar License may be issued for a continuous period of six hours between 8:00 a.m. and 12:00 p.m. which may be extended upto 1 p.m with the previous approval of the licensing authority.

- (11) Licensee shall be responsible for any misdemeanour and boorish treatment meted out to any guest specially women present in the function.
- (12) Licensee can get supply of foreign liquor in standard bottle and beer in standard bottle/can of any capacity.
- (13) Every bottle of liquor meant for serving and consumption must carry labels prescribed by Excise Commissioner.
- (14) It shall be strictly prohibited to carry arms at the venue of organising event/function.
- (15) This licence shall remain inoperative on 14 April (Ambedkar Jayanti), 15 August (Independence Day), 2 October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and on other dry days declared by the District Magistrate.
- (16) The licence-holder shall maintain regular and accurate accounts in the following form. and shall produce the same for inspection on the requisition of any officer authorised by Government to demand their production and shall furnish to the Collector a full account of sales made under the authority of this licence on its expiry:

Date	Description	Opening balance	Receipts	Total	Sales	Closing balance
	Wine ...					
	Spirit ...					
	Beer ...					

District.....

Collector

Dated

(Attached or printed on back will be the general conditions, etc.)

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 487 राजपत्र-2020-(1030)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 आबकारी-2020-(1031)-100 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।